न्यायालय : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बीना, जिला सागर म0प्र0
समक्ष–आलोक मिश्रा

विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक : 01/2018
संस्थित दिनांक 12.01.2018
CNR No.-MP15050001832018

मध्य प्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केंद्र भानगढ.
जिला सागर (मध्य प्रदेश) ––– **अभियोजन**

–: ।। विरूद्व ।।:–

रब्बू उर्फ सर्वेश पुत्र रामप्रसाद सेन आयु 22 वर्ष, निवासी– ग्राम देवल, थाना भानगढ़ जिला सागर।

–– **आरोपी**

न्यायालय – श्रीमति लक्ष्मी वास्कले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बीना, जिला सागर द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांकः 872/2017 में पारित उपार्पण आदेश दिनांक 29.12.2017 से उद्भूत विशेष सत्र प्रकरण।

राज्य की ओर से – श्री एम.डी.अवस्थी ए.जी.पी. व श्री अनिल कुमार कटारे, विशेष लोक अभियोजक।
आरोपी की ओर से – श्री एन.पी. नामदेव अधिवक्ता।

–:।। निर्णय।। :–

(आज दिनांक 20.08.2018 को घोषित)

1. आरोपी रब्बू उर्फ सर्वेश के विरूद्ध **धारा 449, 293, 376डी, 376(2)(आई), 376ए, 302 सपठित धारा 34, 201 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता 1860** (एतस्मिन्पश्चात भा0द0सं0), **तथा धारा 5(जी) सपठित धारा 6 लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012** (एतस्मिन्पश्चात अधि0 2012) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप हैं कि उसने दिनांक 07.12.2017 को रात लगभग 08:30 बजे ग्राम देवल स्थित अभियोक्त्री(मृतिका) के घर में मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध कारित करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया, उसे मोबाईल पर अश्लील फिल्म दिखाई, अभियोक्त्री(मृतिका) जिसकी आयु 16 वर्ष से कम थी, के साथ बलात्संग किया, अन्य सह आरोपी बाल अपचारी के साथ मिलकर उसके साथ सामूहिक बलात्संग व सामूहिक प्रवेशन लैगिंक हमला किया, सहआरोपी बाल अपचारी के साथ मिलकर उक्त अपराध कारित करने के दौरान अभियोक्त्री(मृतिका) पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी जिससे उसकी दशा विकृतशील हो गई व मृत्यु हुई, परस्पर सामान्य आशय के अग्रसरण में साशय या ज्ञान रखते हुऐ उस पर मिट्टी का तेल डालकर, आग लगाकर मृत्यु कारित कर हत्या की तथा मोबाईल पर परिचारित अश्लील फिल्म को स्वयं को वैध दंड से प्रतिच्छादित करने के आशय से डिलीट कर साक्ष्य का विलोपन किया।

2. हस्तगत मामले में यह **उल्लेखनीय तथ्य** है कि घटना का एक अन्य सह आरोपी 18 वर्ष से कम आयु का होने के कारण उसके विरूद्ध कार्यवाही पृथक से किशोर न्यायिक बोर्ड में की गई है। उक्त विधि का उल्लंघन करने वाले बालक व पीड़िता की पहचान स्पष्ट ना हो इस प्रयोजन से उन्हें क्रमशः बाल अपचारी व अभियोक्त्री(मृतिका) लेख किया जा रहा है, इसी प्रयोजन से अभियोक्त्री(मृतिका) के निकट संबंधियों के नाम का उल्लेख करने के स्थान पर उन्हें अ0सा0–क्रमांक द्वारा संबोधित किया गया है।

3. **अभियोजन का मामला** संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 07.12.2017 की दुर्भाग्यपूर्ण रात लगभग 08:30 बजे अभियोक्त्री(मृतिका) अपने घर में टी.वी. देख रही थी तभी उसके पड़ोस में

रहने वाले बाल अपचारी व आरोपी रब्बू उसे अकेला पाकर पानी मांगने के बहाने उसके कमरे में घुस आऐ, मोबाईल पर उसे गंदी गंदी फिल्म दिखाई और जोर जबरदस्ती करने लगे जब वह चिल्लाई तो आरोपी रब्बू ने उसका मुंह दबाकर पलंग पर पटक दिया, बाल अपचारी ने उसके नीचे के कपड़े उतारकर उस पर चढ़कर बुरा काम किया, उसके बाद बाल अपचारी ने उसका मुंह दबाया और आरोपी रब्बू ने उसके साथ बलात्संग किया, जब उसने कहा कि वह अपने चाचा व परिवार वालो, गांव वालो को घटना बताऐगी तो बाल अपचारी ने घर के बाहर रखी मिट्टी के तेल की कुप्पी उस पर उड़ेल दी और आरोपी रब्बू ने आग लगा दी, दोनो आरोपीगण कहने लगे कि जब बचेगी तभी तो बता पाऐगी, इतना कहकर आरोपीगण भाग गऐ, अभियोक्त्री(मृतिका) जलती हुई अपने बचाव के लिऐ कमरे से बाहर निकली तो उसके दादा अ.सा. 1, पड़ोस में रहने वाले चाचा अ.सा. 14, चाची अ.सा. 13 व अन्य गांव वालो ने जैसे तैसे उसकी आग बुझाई, पूछने पर उसने पूरी घटना उन्हें बताई, उसके चाचा अ.सा. 14 ने आरोपीगण को खेड़े में से भागते हुऐ भी देख लिया। अभियोक्त्री(मृतिका) को सिविल अस्पताल बीना ले जाया गया जहां से उसके जली हालत में रात 10:40 बजे भर्ती होने की सूचना थाना बीना को दी गई, पुलिस ने कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को सूचित किया, रात 11:00 बजे बीना के नायब तहसीलदार संगीता महतो ने आहत बालिका का मृत्युकालिक कथन लेखबद्ध किया, थाना बीना की उपनिरीक्षक अंजना परमार ने सिविल अस्पताल बीना जाकर रात 11:30 बजे आहत बालिका के बताऐ अनुसार देहाती नालसी लेखबद्ध की, आहत बालिका को इलाज हेतु बीएमसी सागर रैफर किया गया। उक्त देहाती नालिसी पर से थाना भानगढ़ में दिनांक 08.12.2017 को सुबह 9:29 बजे अपराध क्रमांक 261/17 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया ।

4. विवेचना के अनुक्रम में दिनांक 08.12.2017 को सुबह 10:00 बजे घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया, घटनास्थल से प्लास्टिक कुप्पी मय कैरोसिन, माचिस, जली हुई तीली, पुरानी चादर, जले हुए कपड़ों की राख, जली हुई मानव चमड़ी घटनास्थल की कैरोसिन गंधयुक्त मिट्टी जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया । आरोपी रब्बू को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ कर उसका मेमोरेंडम अंकित किया गया,

उसके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर एक लावा कंपनी का मोबाइल जब्त किया गया, आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। दिनांक 08.12.2017 को ही थाना भानगढ़ में पत्र लिखकर प्रधानाध्यापक शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम देवल से अभियोक्त्री(मृतिका) के जन्मप्रमाण संबंधी दस्तावेज प्राप्त किये । दिनांक 08.12.2017 को रात 11 बजे बीएमसी अस्पताल सागर में स्व0बालिका का चिकित्सीय परीक्षण कर उसकी स्लाइड, प्यूबिक हेयर, आदि सीलबंद कर पुलिस को दिये गये। दिनांक 09.12.2017 को आरोपी रब्बू का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, डीएनए हेतु उसका रक्त नमूना सीलबंद कर पुलिस को दिया गया । दिनांक 09.12.2017 को सहआरोपी बालअपचारी को अभिरक्षा में लेकर उसका मेमो लेख किया, जिसके आधार पर मोबाइल जब्त हुआ । दिनांक 09.12.2017 को ही रात 08:43 से 09:10 के बीच पीड़ित बालिका का धारा–164 दं0प्र0सं0 का कथन श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर ने लेखबद्ध किया । दिनांक 14.12.2017 को सुबह 7:10 बजे अभियोक्त्री(मृतिका) की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना बीएमसी सागर से थाना गोपालगंज सागर को दी गई, जिस पर से थाना गोपालगंज सागर में मर्ग क्रमांक 0/17 कायम किया गया । पंचों की उपस्थिति में शव का नक्शा पंचायतनामा बनाया गया, शव परीक्षण उपरांत शव सुपुर्दगी में दिया गया । प्रकरण में जब्तशुदा माल रसायनिक परीक्षण हेतु एफएसएल सागर भेजा गया । संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र मजिस्ट्रेट न्यायालय में दिनांक 29.12.2017 को पेश किया गया, जो उपार्पण व अंतरण की कार्यवाही उपरांत दिनांक 24.01.2018 को विचारणार्थ प्राप्त हुआ ।

5. आरोपी ने कंडिका–1 में वर्णित अपराध कारित करना अस्वीकार किया और विचारण चाहा। **<u>धारा 313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण</u>** में आरोपी रब्बू ने बताया है कि इस घटना के लगभग एक साल पहले उसका अभियोक्त्री(मृतिका) के चाचा अ.सा. 14 से क्रिकेट के दौरान झगड़ा हुआ था, इसी कारण उसे झूठा फंसाया है, वह निर्दोष है। अभियोजन की ओर से अभियोक्त्री(मृतिका) के दादा अ0सा01, अ0सा02, हरिशंकर यादव अ0सा03, डॉ0 योगमाया अ0सा04, डॉ0 एस0पी0सिंह अ0सा05, डॉ0 नितिन कुमार जैन अ0सा06, डॉ0 गौरव

प्रजापति अ0सा07, डॉ0 सरोज भूरिया अ0सा08, डॉ0 अविनाश सक्सेना अ0सा09, डॉ0 के0के0 जैन अ0सा010, नायब तहसीलदार संगीता महतो अ0सा011, डॉ0 दीपक तिवारी अ0सा012, अभियोक्त्री(मृतिका) की चाची अ0सा013, उसके चाचा अ0सा014, प्र0आ0 रामेन्द्र मिश्रा अ0सा015, उपनिरीक्षक अंजना परमार अ0सा016, आरक्षक सतेन्द्रसिंह अ0सा017, उप0निरी0 रोशनी जैन अ0सा018, उप0निरी0 नारायणसिंह अ0सा019, प्र0आ0 बालकिशन अ0सा020, पटवारी अनूप लड़िया अ0सा021, उप0निरी0 रविभूषण पाठक अ0सा022, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमति सुचिता श्रीवास्तव अ0सा023, उप0निरी0 भूपेन्द्र पटेल अ0सा024, के कथन कराये गये हैं, जबकि बचाव पक्ष की ओर से साक्षी गोलू चौबे ब0सा01 व आजाद राजपूत ब0सा02 को परीक्षित कराया गया है।

6. <u>इस प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न हैं :–</u>

(1) क्या अभियोक्त्री(मृतिका) की आयु घटना दिनांक 07.12.2017 को 16 वर्ष से कम थी, यदि नहीं तो क्या 18 वर्ष से कम थी ?

(2) क्या आरोपी ने दिनांक 07.12.2017 को रात लगभग 8:30 बजे ग्राम देवल में अभियोक्त्री(मृतिका) के घर में मृत्युदण्ड से दण्डनीय अपराध कारित करने के आशय से प्रवेश कर गृहअतिचार किया ?

(3) क्या आरोपी ने अभियोक्त्री(मृतिका) को मोबाइल पर अश्लील फिल्म दिखाई ?

(4) क्या आरोपी ने दिनांक 07.12.2017 को रात 8:30 बजे ग्राम देवल में अभियोक्त्री(मृतिका) के घर में उसके साथ बलात्संग किया ?

(5) क्या आरोपी ने सहआरोपी बालअपचारी के साथ मिलकर अभियोक्त्री(मृतिका) के साथ सामूहिक बलात्संग किया और सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया ?

(6) क्या आरोपी ने परस्पर सामान्य आशय के अग्रसरण में सह आरोपी बालअपचारी के साथ मिलकर बलात्संग करने के दौरान अभियोक्त्री(मृतिका) पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, जिससे उसकी दशा विकृतशील होती गई ?

(7) क्या दिनांक 14.12.2017 को अभियोक्त्री(मृतिका) की मृत्यु दिनांक 07.12.2017 की घटना में जलने की चोटों के कारण हुई थी ?

(8) क्या अभियोक्त्री(मृतिका) की मृत्यु की प्रकृति आपराधिक मानव वध की थी ?

(9) क्या आरोपी ने सहआरोपी बालअपचारी के साथ मिलकर परस्पर सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियोक्त्री(मृतिका) पर साशय या ज्ञानपूर्वक मिट्‌टी का तेल डालकर मृत्यु कारित कर, हत्या की?

(10) क्या आरोपी ने सहआरोपी बालअपचारी के साथ मिलकर परस्पर सामान्य आशय के अग्रसरण में मोबाइल पर अभियोक्त्री(मृतिका) को दिखाई अश्लील फिल्म को स्वयं को वैध दण्ड से प्रतिच्छादित करने के आशय से डिलीट कर साक्ष्य का विलोपन किया ?

:: निष्कर्ष एवं आधार ::

विचारणीय प्रश्न क्रमांक–1 का निराकरण

7. इस संबंध में अभियोजन की ओर से अभियोक्त्री(मृतिका) के विद्यालय की मूल दाखिल खारिज पंजी व जन्मतिथि रजिस्टर पेश किये गये हैं, जिसके संबंध में प्राथमिक शाला ग्राम देवल के प्रधान अध्यापक हरीशंकर यादव अ0सा0–3 का कथन कराया है, जिसमें बताया है कि दाखिल/खारिज रजिस्टर में अनुक्रमांक 2272 पर अभियोक्त्री(मृतिका) के इंद्राज हैं, जिसके अनुसार उसकी जन्मतिथि दिनांक 01.01.2002 है, उसे दिनांक 05.07.2008 को पहली कक्षा में प्रवेश दिया गया था । जन्मतिथि रजिस्टर में भी उसकी जन्म दिनांक 01.01.2002 लेख है, जिसका प्रमाणीकरण उसके दादा सोहन सिंह अ0सा01 द्वारा किया गया है। दाखिल खाजिर रजिस्टर व जन्मतिथि रजिस्टर को प्र0पी011–12 से चिंहित किया गया है, जिनकी छायाप्रतियां प्र0पी011सी एवं प्र0पी012सी हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि वह दिनांक 01.07.1988 से प्राथमिक शाला ग्राम देवल में पदस्थ है। साक्षी के अनुसार प्र0पी011 की प्रविष्टि उसके द्वारा ही अपने हस्तलेख में की गई है। साक्षी को बचाव पक्ष की ओर से यह सुझाव दिया गया है कि यदि अभिभावक ने अभियोक्त्री(मृतिका) की आयु 4 वर्ष कम घटाकर लेख करा दी हो तो वह नहीं बता सकता, इस पर साक्षी ने स्वतः कहा कि बच्चे को देखने से भी अंदाजा लग जाता है। इस प्रकार इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण

में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे प्र0पी011 व 12 के इंद्राज पर संदेह किया जा सके। शासकीय विद्यालय के दाखिल खारिज रजिस्टर पर जन्मतिथि रजिस्टर नियमित रूप से पदीय कर्त्तव्य के निर्वहन में संधारित किये जाते हैं और ये धारा 35 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अंतर्गत सुसंगत व ग्राह्य है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **महादेव विरूद्ध महाराष्ट राज्य व अन्य (2013) 14 एस.सी.सी. 637** के मामले में प्रतिपादित किया है कि किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2007 का नियम 12(3) पीड़ित की आयु निर्धारण में भी लागू होगा जिसके द्वितीय खंड के अनुसार प्रथम विद्यालय द्वारा जारी प्रमाणपत्र उसकी जन्मतिथि बाबत् ग्राह्य साक्ष्य है। किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधि0 2015 की धारा 94 में उक्त नियम को प्रतिस्थापित कर विद्यालय से जारी जन्म प्रमाणपत्र को प्रथम वरीयता दी गई है।

8. प्रपी–11 व 12 के इंद्राज अभिलेख पर विधिवत् प्रमाणित हुऐ है इनमें लेख पीड़िता की जन्म दिनांक 01.01.2002 के मान से घटना दिनांक को अभियोक्त्री(मृतिका) 15 साल 11 माह 6 दिन की थी, अर्थात् उसकी आयु 16 वर्ष से कम थी। ऐसी दशा में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रमाणित पाया जाता है कि घटना दिनांक 07.12.2017 को अभियोक्त्री(मृतिका) की आयु 16 वर्ष की भी पूर्ण न होकर वह अप्राप्तव्यय थी, जो कि अधि0 2012 के अंतर्गत 'बालक' की श्रेणी में आती है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 7 व 8

9. इस बारे में मृतिका के दादा अ0सा0–1, अ0सा0–2, चाची अ0सा0–13, चाचा अ0सा0–14 ने बताया है कि घटना दिनांक 07.12.2017 को रात 8:00–8:30 बजे के लगभग अभियोक्त्री(मृतिका) जलती हुई घर से बाहर आई थी और बताया था कि आरोपीगण ने उस पर मिटटी का तेल डालकर आग लगा दी है। साक्षीगण के अनुसार दिनांक 14.12.2017 को जिला अस्पताल सागर में इलाज के दौरान अभियोक्त्री(मृतिका) की मृत्यु हुई। घटना दिनांक को अभियोक्त्री(मृतिका) को आग लगी हुई थी इसकी पुष्टि स्वयं बचाव साक्षी गोलू ब.सा. 1 व आजाद राजपूत ब.सा. 2 ने भी की है। दिनांक 07.12.2017 को रात 10:40 बजे अभियोक्त्री(मृतिका) को जली हुई अवस्था में सिविल अस्पताल बीना में भर्ती होने की सूचना प्रदर्श पी 24 डॉक्टर अविनाश सक्सेना अ0सा0–9 ने थाना बीना को दी। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तत्कालीन नायब तहसीलदार बीना ने दिनांक 07.12.2017 को ही रात 11:00 बजे

अभियोक्त्री(मृतिका) का मृत्युकालिक कथन प्रदर्श पी 26 लेख करना बताया है। इसके बाद थाना बीना के तत्कालीन उप निरीक्षक कु. अंजना परमार अ0सा0–16 के अनुसार उसने प्रदर्श पी 28 की देहाती नालिसी पीड़ित बालिका के बताऐ अनुसार लेखबद्ध की।

10. घटना दिनांक 07.12.2017 को ही सिविल अस्पताल बीना के चिकित्साधिकारी डॉ. अविनाश जैन अ0सा0–9 ने रात 11 बजे अभियोक्त्री(मृतिका) का चिकित्सीय परीक्षण कर प्रदर्श पी 25 की रिपोर्ट देना बताया है जिसके अनुसार आहता के शरीर पर कुछ हिस्सा उपरी तौर पर जला हुआ था तथा कुछ हिस्सा गहरा जला हुआ था उसके शरीर से कैरोसिन की गंध आ रही थी व उसके कपडे भी जले हुए थे। आहता लगभग 90 प्रतिशत जली अवस्था में थी। उक्त जलने की चोटें परीक्षण अवधि से 6 घण्टे के भीतर की थी। उसने आहता को प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल सागर रेफर कर दिया था। जिला अस्पताल सागर के चिकित्सा अधिकारी डॉ. योगमाया अ0सा0–4 ने दिनांक 08.12.2017 को रात 11 बजे आहता का चिकित्सीय परीक्षण कर प्रदर्श पी 14 की रिपोर्ट देना बताया है जिसके अनुसार आहता की सामान्य स्थिति काफी गंभीर थी, नब्ज हण्ड्रेड प्रतिमिनट थी, श्वांस लेने की दर 24 प्रतिनिमट थी,आहता के शरीर पर सुपरफीसियल से लेकर गहरे तक जलने के निशान दोनों आंचल व गुप्तांग पर भी थे जो दोनों जांघों तक फैले हुए थे, हाइमन पुराना फटा हुआ था। डॉ. एस.पी.सिंह अ0सा0–5 ने बी.एम.सी. सागर (बुंदेलखण्ड मेडीकल कॉलेज सागर) में आहता का संधारित रिकॉर्ड यथा ओपीडी पर्चा, बेडहेट टिकट, समरी रिपोर्ट मूल से मिलान कर प्रमाणित कर देना बताया है जो प्रदर्श पी 15 से प्रदर्श पी 18 है। साक्षी के अनुसार आहता के परिजनों से प्रदर्श पी 19 व 20 की लिखित सहमति भी इलाज बावत ली गई थी।

11. डॉ. गौरव प्रजापति अ0सा0–7 ने दिनांक 14.12.2017 को बीएमसी सागर (बुंदेलखण्ड मेडीकल कॉलेज सागर) में चिकित्साधिकारी के पद पर पदस्थ रहते हुए सुबह 06:40 बजे आहता का परीक्षण करना बताया है जिसके अनुसार वह अचेत अवस्था में थी उसकी नाडी व ब्लड प्रेशर अनुपस्थित था, आंख की पुतलियां डायलेटेड अवस्था में थी, उचित उपचार के बावजूद उसकी मृत्यु हो गई, जिस पर उसने सुबह 07:10 बजे अभियोक्त्री(मृतिका) को मृत घोषित किया। साक्षी के अनुसार उसने

अभियोक्त्री(मृतिका) की मृत्यु की सूचना प्रदर्श पी 22 थाना गोपालगंज सागर को दी थी। उक्त सूचना पर से थाना गोपालगंज की उपनिरीक्षक रोशनी जैन अ0सा0–18 ने मर्ग कमांक 0/17 अंतर्गत धारा 174 दप्रसं लेखबद्ध करना बताया है जिस पर से बाद में थाना भानगढ़ में प्रदर्श पी 35 का मर्ग कमांक 41/17 प्रधान आरक्षक बालकिशन अ0सा0–20 द्वारा कायम किया गया। रोशनी जैन अ0सा0–18 ने पंचों को प्रदर्श पी 2 का नोटिस देकर प्रदर्श पी 3 का शवपंचनामा बनाना बताया है इसके अतिरिक्त उसने प्रदर्श पी 31 का आवेदन भरकर अभियोक्त्री(मृतिका) का शव परीक्षण कराए जाने हेतु बीएमसी सागर में दिया था।

12. बीएमसी सागर (बुंदेलखण्ड मेडीकल कॉलेज सागर) में तीन चिकित्सकों के पैनल द्वारा अभियोक्त्री(मृतिका) का शव परीक्षण कर प्रदर्श पी 23 की रिपोर्ट दी गई जिसके अनुसार **<u>बाहय परीक्षण में</u>**–शव में अकड़न नहीं आई थी, आंखे बंद थी, आंखों की पुतलियां फैली हुई थी, मुंह भी बंद था, मृतिका के सिर के एवं भौंहों के बाल जले हुए पाए गए थे एवं शरीर पर कुछ सतही, कुछ गहरे एवं कुछ इन्फेक्टिेड घाव लगभग पूरे शरीर पर पाए गए थे, केवल पेट का कुछ निचला हिस्सा एवं दोनों पैरों का सामने का हिस्सा जलने से बचा हुआ था। मृतिका के शरीर पर जलने के घाव 95 प्रतिशत थे, दाहिने हथेली के अंगूठे पर नीली स्याही का निशान था, दांये हाथ के अग्रबाजू पर एक टैटू बना था जिसमें ए आर लिखा था एवं लगभग तीन सेमी लंबे सिले हुए निशान दांये और बांये पैर के मेलियोलस क्षेत्र में थे। **<u>आंतरिक परीक्षण</u>** में– कपाल एवं मेरूदण्ड में कपाल इन्टेक्ट पाया गया था, वक्ष में पर्दा, पसली, कोमलस, कण्ठ एवं श्वांस नली, पेरियोन परकरसिथम एवं वृहद बाहिकायें स्वस्थ पाई गई थीं, दोनों फैफडे कंजस्टिड पाए गए थे, हृदय के दोनों कक्षों में रक्त पाया गया था, उदर में पर्दा, आंतों की झिल्ली, मुंह तथा ग्रासनली, ग्रसनी स्वस्थ पाए गए थे, पेट रिक्त पाया गया था, छोटी एवं बडी आंत में गैसें पाई गई थी, यकृत, प्लीहा एवं गुर्दा कंजस्टिड पाए गए थे, मूत्राशय रिक्त पाया गया था, जननेंद्रियों में गर्भाशय 6 गुणा 4 गुणा 2 सेमी का था जिसमें बच्चा नहीं था, <u>हाइमन फटी हुई पाई गई थी।</u> **अभिमत**–साक्षी ने अपने मतानुसार अभियोक्त्री(मृतिका) की मृत्यु का कारण शॉक जो कि <u>मृत्युपूर्व अत्याधिक जलने एवं उसके कारण उत्पन्न जटिलता से</u> होना पाया था, मृत्यु शव परीक्षण से 12 घण्टे के अंदर की थी।

उक्त संबंध में उनके द्वारा अभियोक्त्री(मृतिका) के शव की परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी 23 है जिसे डॉ के.के. जैन अ0सा0–10 व डॉ सरोज भूरिया अ0सा0 8 ने विधिवत प्रमाणित किया है।

13. बचाव पक्ष की ओर से यह लिखित तर्क किया गया है कि मोदी के मेडीकल ज्यूरिस्प्रूडेन्स के अनुसार यदि व्यक्ति स्वयं आग लगाकर मरता है तो उसके तलवे जलते हैं और अगर कोई अन्य व्यक्ति उस पर तेल डालकर आग लगाता है तो उसके पैर के तलवे नहीं जलते, जबकि आहता के पैर के तलवे जले हुए थे। सर्वप्रथम तो डॉ0 के0के0जैन अ0सा010 ने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि मृतका के पैर के तलवे जले हुए थे या नहीं वह इस संबंध में नहीं बता सकता। इसके अतिरिक्त उपरोक्त पुस्तक इस साक्षी को रैफर करते हुए भी कोई प्रश्न नहीं किया गया जिससे यह सुनिश्चित हो सकता कि क्या इस मामले में भी ऐसा निश्चित रूप से कह पाना संभव है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **भगवानदास विरूद्ध राजस्थान राज्य ए.आई.आर. 1957 एस.सी. 589** के मामले में प्रतिपादित किया गया है कि किसी विशेषज्ञ की राय को किसी पुस्तक का संदर्भ देकर स्वतः ही अमान्य नही किया जा सकता जब तक कि उक्त पुस्तक का ऐसा लेख/अंश विशेषज्ञ को दिखाकर प्रश्न ना किया गया हो। इन परिस्थितियों में बचाव पक्ष का उक्त तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है।

14. यह तर्क भी हुआ है कि अभियोक्त्री(मृतिका) द्वारा आत्महत्या किए जाने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। बचाव पक्ष की ओर से अ0सा0–1 को सुझाव दिया गया है कि उसने अभियोक्त्री(मृतिका) को देर रात तक टीवी देखने से मना किया तो उसने गुस्से में स्वंय को आग लगा ली, जिससे उसने इंकार किया। उक्त बात स्वाभाविक व सहज प्रज्ञा को स्वीकार भी दर्शित नहीं होती है। अ0सा0–2 को बचाव पक्ष ने सुझाव दिया है कि अपचारी बालक व अभियोक्त्री(मृतिका) के अवैध संबंध थे, अ0सा0–1 ने उन्हें देख लिया जिस कारण अभियोक्त्री(मृतिका) ने खुद पर मिटटी का तेल डालकर आग लगा ली। सर्वप्रथम तो उक्त बचाव एकाएक मात्र इसी साक्षी से लिया गया है। उक्त सुझाव को इस साक्षी ने सिरे से नकार दिया है। बचाव पक्ष द्वारा ऐसा सुझाव देना या बचाव लेना स्पष्ट करता है कि बचाव पक्ष एक आरोपी के

बाल अपचारी होने का लाभ लेकर अभियोक्त्री(मृतिका) के चरित्र पर निराधार असत्य लांछन लगाने से भी नहीं चूकता।

15. उपरोक्त साक्षीगण की साक्ष्य के आधार पर अभिलेख पर यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित पाया जाता है कि दिनांक 14.12.2017 को अभियोक्त्री(मृतिका) की मृत्यु हुई जो कि घटना दिनांक 07.12.2017 को जलने से आई चोटों के परिणामस्वरूप हुई थी और आपराधिक मानव वध की प्रकृति की थी।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 4 से 6 व 9
सुविधा अनुसार एक साथ निराकृत

16. इस प्रकार के बलात्कार व बलात्कार सहित हत्या के मामले में प्रायः ही प्रत्यक्ष साक्ष्य का अभाव होता है, क्योंकि आरोपी यह सुनिश्चित करने के बाद ही कि उसके घिनौने कृत्य को कोई देखने वाला नहीं है, कुअवसर व समय पाकर ही ऐसा अपराध करता है। हस्तगत मामले में अभियोजन की साक्ष्य मुख्यतः **मृत्युकालिक कथन व डीएनए रिपोर्ट** पर आधारित है।

17. ईश्वर में लीन होने जा रहे व्यक्ति के मुख से उसकी मृत्यु के कारण या परिस्थितियों से संबंधित कहे गऐ शब्दों की पवित्रता व सत्यता को विधि में मृत्युकालिक कथन के रूप में मान्यता दी गई है, जिसका प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 (एतस्मिन पश्चात अधिनियम 1872)की धारा 32 में किया गया है। प्रकरण में आई साक्ष्य के मूल्यांकन व विवेचना के पूर्व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मृत्युकालिक कथन के संबंध में प्रतिपादित मार्गदर्शक सिद्धांतो का उल्लेख व स्मरण किया जाना आवश्यक है–

Smt.Paniben V. State of Gujrat AIR 1992 SC 1817

The Court has laid down in several judgments the principles governing dying declaration, which could be summed up as under:

(i) There is neither rule of law nor of prudence that dying declaration cannot be acted upon without corroboration.

(ii) If the Court is satisfied that the dying declaration is true and voluntary it can base conviction on it, without corroboration.

(iii) This Court has to scrutinise the dying declaration carefully and must ensure that the declaration is not the result of tutoring, prompting or

imagination. The deceased had opportunity to observe and identify the assailants and was in a fit state to make the declaration.

(iv) Where dying declaration is suspicious it should not be acted upon without corroborative evidence.

(v) Where the deceased was unconscious and could never make any dying declaration the evidence with regard to it is to be rejected.

(vi) A dying declaration which suffers from infirmity cannot form the basis of conviction.

(vii) Merely because a dying declaration does not contain the details as to the occurrence, it is not to be rejected.

(viii) Equally, merely because it is a brief statement it is not be discarded. On the contrary, the shortness of the statement itself guarantees truth.

(ix) Normally the Court in order to satisfy whether deceased was in a fit mental condition to make the dying declaration look up to the medical opinion. But where the eyewitness has said that the deceased was in a fit and conscious state to make this dying declaration, the medical opinion cannot prevail.

(x) Where the prosecution version differs from the version as given in the dying declaration, the said declaration cannot be acted upon.

"Laxman v. State of Maharashtra"AIR 2002 SC 2973 (Constitutional Bench)

3. .... **the court insist that the dying declaration should be of such a nature as to inspire full confidence of the court in its truthfulness and correctness. The court, however has to always be on guard to see that the statement of the deceased was not as a result of either tutoring or prompting or a product of imagination. The court also must further decide that the deceased was in a fit state of mind and had the opportunity to observe and identify the assailant.** ***Normally,*** **therefore, the court in order to satisfy whether the deceased was in a fit mental condition to make the dying declaration look up to the** ***medical opinion.*** **But where the eye-witnesses state that the deceased was in a fit and conscious state to make the declaration, the medical opinion will not prevail, nor can it be said that since there is no**

certification of the doctor as to the fitness of the mind of the declarant, the dying declaration is not acceptable. A dying declaration can be *oral or in writing and in any adequate method of communication whether by words or by signs or otherwise will suffice provided the indication is positive and definite.* **In most cases, however, such statements are made orally before death ensues and is reduced to writing by someone like a magistrate or a doctor or a police officer. When it is recorded, no oath is necessary nor is the presence of a magistrate is absolutely necessary, although to assure authenticity it is usual to call a magistrate, if available for recording the statement of a man about to die.** *There is no requirement of law that a dying declaration must necessarily be made to a magistrate and when such statement is recorded by a magistrate there is no specified statutory form for such recording.*

18. यह स्पष्ट है कि मृत्युकालीन कथन सारवान साक्ष्य की श्रेणी में आता है और यदि विश्वास किये जाने योग्य है तो एकमात्र इसके आधार पर ही दोषसिद्धी अभिलिखित की जा सकती है।हस्तगत मामलें में **आरोपी के विरूद्ध अभिलेख पर आई अभियोजन साक्ष्य पर विचार** किया जाऐ तो अभियोक्त्री(मृतिका) के **कुल 4 मृत्युकालिक कथन** अभिलेख पर हैं।

पहला जो कि उसने घटना के तुरंत बाद उसके परिजनों व आसपास के ग्रामीणों द्वारा आग बुझाने के बाद उन्हें घटना बताई। इस संबंध में अ0सा0–1, अ0सा0–2, अ0सा0–13, अ.सा.14 की साक्ष्य पूर्णतः विश्वसनीय रही है।

दूसरा प्रपी–26 का घटना दिनांक 7.12.2017 को ही रात 11:05 से 11:30 तक सिविल अस्पताल बीना में कार्यपालिक मजिस्टेट नायब तहसीलदार संगीता महतो द्वारा लेखबद्ध किया गया।

तीसरा प्रदर्श पी 28 की देहाती नालिसी जो कि थाना बीना के उप निरीक्षक अंजना परमार अ0सा0–16 द्वारा घटना दिनांक को ही रात 11:30 बजे से लेखबद्ध की गई। (***Babu Lal and others v. State of M.P. AIR 2004 SC 846)***

चौथा प्रदर्श पी 44 का जो कि न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी सागर श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 9.12.2017 को रात 8:43

बजे से 9:10 बजे तक लेखबद्ध किया गया। (इस साक्षी का न्यायालयीन कथन वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से लेख किया गया)

19. एक से अधिक मृत्युकालिक कथन के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **अमोलसिंह विरूद्ध म0प्र0 राज्य (2008)5 एस.सी.सी. 468** के मामले में प्रतिपादित किया गया है कि ऐसे सभी मृत्युकालिक कथनों में एकरूपता व संगतता होना चाहिऐ अर्थात कोई तात्विक विसंगति नही होनी चाहिऐ। निर्णय का सुसंगत अंश निम्नानुसार है–

15. Accordingly, it is not the plurality of the dying declarations but the reliability thereof that adds weight to the prosecution case. If a dying declaration is found to be voluntary, reliable and made in fit mental condition, it can be relied upon without any corroboration. The statement should be consistent throughout. **If the deceased had several opportunities of making such dying declarations, that is to say, if there are more than one dying declaration they should be consistent.** (See: Kundula Bala Subrahmanyam v. State of A.P.(1993) 2 SCC 684). **However, if some inconsistencies are noticed between one dying declaration and the other, the court has to examine the nature of the inconsistencies, namely, whether they are material or not.** While scruitinizing the contents of various dying declaration, in such a situation, the court has to examine the same in the light of the various surrounding facts and circumstances.

20. हस्तगत मामले में **सभी मृत्युकालीन कथनों में अभियोक्त्री(मृतिका) ने एक ही स्वर में सारतः** यही बताया है कि वह घटना दिनांक को रात 8:30 बजे अपने घर के कमरे में टीवी देख रही थी, तभी पड़ौस के रहने वाले बाल अपचारी और आरोपी रब्बू सेन उसे अकेला पाकर **पानी मांगने के बहाने कमरे में घुस आये** और उससे जोर जबरदस्ती करने लगे तो वह चिल्लाई तो आरोपी रब्बू सेन ने **उसका मुंह दबाकर** पलंग पर पटक दिया और एक हाथ से हाथ पकड़ लिया, बाल अपचारी ने उसके नीचे के कपड़े उतार दिये और उसके उपर चढ़कर बुरा काम किया फिर **आरोपी रब्बू ने भी उसके साथ बुरा काम किया** तब बाल अपचारी ने हाथ–मुंह दबा रखा था, जब उसने कहा कि वह घर

परिवार गांव वालों को घटना बतायेगी, तब बाल अपचारी ने घर के बाहर रखी **मिट्‌टी के तेल की कुप्पी जान से मारने की नीयत से उसके उपर उडेल दी और आरोपी रब्बू ने आग लगा दी।** <u>दोनों कह रहे थे कि जब वह बचेगी तभी तो बतायेगी, इसके बाद दोनों भाग गये।</u> वह जलती हुई अवस्था में बचाव हेतु कमरे से बाहर निकली तो उसके दादा अ0सा0-1 ने कथरी उढ़ाई और उसके चाचा अ0सा0-14 व चाची अ0सा0-13 व गांव वाले भी आ गये तब, 108 से उसे बीना सरकारी अस्पताल लाये।

21. लिखित तर्क में बचाव पक्ष ने बलपूर्वक लेख किया है कि 70 प्रतिशत से अधिक जला व्यक्ति अपना कथन नहीं दे सकता है, जबकि हस्तगत मामले में पीड़िता लगभग 90-95 प्रतिशत जली हालत में थी और उसकी नाड़ी व बी.पी. भी अनुपस्थित था। लिखित तर्क में बचाव पक्ष ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायदृष्टांत **<u>हरियाणा राज्य विरूद्ध हरपालसिंह ए.आई.आर. 1978 एस.सी. 1530</u>** लेख किया है, किंतु उक्त न्याय दृष्टांत में ऐसा कोई सिद्धांत प्रतिपादित ही नही किया गया है। उक्त निर्णय का सुसंगत अंश इस प्रकार है-

18. The High Court was of the view that a person in the state of health as depicted in the Bed Head Ticket could not have possibly made a coherent and detailed statement as contained in Ex. P. L. We are unable to share the view of the High Court. <u>The doctor was fully aware of the condition and certified that the patient was in a fit condition to give a dying declaration and has deposed that she was conscious and was in a fit condition to give the dying declaration.</u> **<u>The fact that the pulse was not palpable and blood pressure unrecordable and the patient was in a gasping condition would not necessarily show that the patient's condition was such that no dying declaration could be recorded.</u>** We see no reason for rejecting the testimony of the doctor.

22. इस तर्क के संबंध में यह ध्यान देने योग्य है कि पीड़ित बालिका की नाड़ी व बी.पी. अनुपस्थित होना दिनांक 14.12.2017 को सुबह 06:00 बजे डॉ0 गौरव प्रजापति ने अपने परीक्षण में पाया था जिसका उल्लेख प्रपी-17 में है जबकि मृत्युकालिक कथन घटना दिनांक 07.12.2017 व 09.12.2017 के है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि मानव

शरीर का जलने का प्रतिशत अन्य भौतिक वस्तु की भांति नहीं मापा जाता है, बल्कि मानव शरीर का प्रत्येक अंग पर जलने के अलग–अलग प्रतिशत के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। **100%** जले होने का आशय यह नहीं है कि सिर के बाल से लेकर पैर के तलबों तक पूरा शरीर जल चुका है और कोई भी अंग बिना जला नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **''रमेश व अन्य विरूद्ध हरियाणा राज्य एआईआर 2016 एस.सी.5554''** के मामले में प्रतिपादित किया है कि –

29 . No doubt, the **victim has been brought with 100% burn injuries**. Notwithstanding, the doctor found that she was in a conscious state of mind and was competent to give her statement. Thus, *the Magistrate had taken due precautions and, in fact, Medical Officer remained present when the dying declaration was being recorded.* Therefore, this **dying declaration cannot be discarded merely going by the extent of burns** with which she was suffering, particularly, when the defence has not been able to elicit anything from the cross-examination of the doctor that her mental faculties had totally impaired rendering her incapable of giving a statement.

23. हस्तगत मामले में घटना के तुरंत बाद जो पहला मृत्युकालीन कथन पीड़िता ने अपने परिजनों व गांव वालों के समक्ष दिया, उस समय भी वह कथन देने में सक्षम थी, जिसकी पुष्टि अभियोजन साक्षीगण के अलावा बचाव साक्षी गोलू चौबे ब0सा01 व आजाद राजपूत ब0सा02 ने भी की है। इसके बाद के मृत्युकालीन कथनों के संबंध में डॉ0 अविनाश अ0सा09, डॉ0 योगमाया अ0सा04, डॉ0 भूपेन्द्र अ0सा024 तीनों ने ही स्पष्टतः बताया है कि पीड़िता की हालत गंभीर थी, किंतु वह मौखिक रूप से जवाब दे पा रही थी, कथन देने में सक्षम थी। इन साक्षीगण के समक्ष मेडीकल जुरिस्प्रूडेंस का ऐसा कोई आलेख या पुस्तक रखकर ऐसा कोई प्रश्न नहीं किया गया कि अमुक प्रतिशत के बाद कोई साक्षी कथन दे ही नहीं सकता। (In a judgment reported as **Bhagwan Das and another vs. State of Rajasthan, AIR 1957 SC 589**, Hon'ble Supreme Court held that **the opinion of an expert cannot be discarded on the basis of books on Medical Jurisprudence unless the passages which are sought to be discredited in the opinion of the expert are put to him.**

24. बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क हुआ है कि साक्षी

अ0सा0–1, अ0सा0–2, अ0सा0–13 व अ0सा0–14 अभियोक्त्री(मृतिका) के **सगे रिश्तेदार** हैं जिनकी आरोपी से बुराई है इस कारण उनका कथन विश्वास योग्य नहीं है। उपरोक्त सभी साक्षीगण ने आरोपी को झूठा फसाए जाने की बात से इंकार किया है। मात्र इस आधार पर कि साक्षीगण, मृतिका के रिश्तेदार हैं उनके कथनों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। रात के समय की घर के भीतर की घटना में सबसे पहले पहुंचने वाले स्वभाविक साक्षी आहत के साथ या पास में रहने वाले परिजन ही होते है। आरोपी रब्बू ने धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत अभियुक्त परीक्षण में बताया है कि उसका घटना के एक साल पहले मृतिका के चाचा अ0सा0–14 से क्रिकेट के दौरान झगडा हुआ था इसी कारण उसे झूठा फसाया है, किंतु इस बावत कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। अभियुक्त परीक्षण में कोई बात कह देना मात्र साक्ष्य की श्रेणी में नही आता है। बचाव पक्ष की ओर से साक्षी अ0सा0–14 को भी इस प्रकार का कोई सुझाव नहीं दिया गया है। बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी आजाद राजपूत ब.सा. 2 ने भी इस बात को गलत बताया है कि आरोपी व अ0सा0–4 के परिवार के बीच बुराई चल रही है। चाची अ0सा0–13 ने न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर बताया है कि घटना के पहले उनकी आरोपी रब्बू व उसके घर वालों से अच्छी बोलचाल थी कोई बुराई नहीं थी। स्वतः कहती है कि घटना के बाद से कोई संबंध नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि साक्षी अ0सा0–1 व अ0सा0–2 ने प्रतिपरीक्षण में इस बात को सही बताया है कि उन्होंने आरोपी को घटना के समय घर में आते व जाते हुए नहीं देखा था, यदि साक्षीगण आरोपी को असत्य रूप से फसाना चाहते तो वे इस बात से इंकार नहीं करते। अतः अभिलेख पर ऐसी कणमात्र भी साक्ष्य नहीं है जिससे यह दर्शित भी होता हो कि घटना के पहले आरोपी व मृतिका के परिजनों के बीच कोई बुराई या रंजिश थी।

25. यह तर्क भी हुआ है कि मृतका के दादा अ0सा01 को दिखाई व सुनाई नहीं देता है, फिर वह कथरी डालकर पीड़िता की आग कैसे बुझा सकता है। अ0सा01 के अनुसार वह घटना के समय घर के बाहर दहलान में सो रहा था, घटना दिसंबर की है, उस समय सर्दियां होती हैं और प्रायः सभी व्यक्ति कुछ न कुछ ओड़कर सोते हैं। ऐसी दशा में जब पीड़िता जलती हुई चिल्लाते हुए घर से बाहर आई, तब उसके द्वारा कथरी डालकर आग बुझाने में कुछ भी अस्वभाविक नहीं है। आग लगने पर पीडित

के शरीर से निकल रही भयावह ज्वालाएं व उसकी वीभत्स चीखें किसी अत्यन्त दुर्बल चक्षुदर्शी व्यक्ति ने भी इतनी उर्जा प्रवाहित कर सकती है कि वह उसे बचाने के सार्थक प्रयास कर सके। अभियोजन कथा के अनुसार ऐसा नहीं है कि अ0सा01 पूर्णतः अंधा व बहरा होकर दिव्यांग है, स्वयं अ0सा01 के अनुसार घटना के बाद अभियोक्त्री(मृतिका) ने उसे घटना बताई थी, न्यायालय में भी इस साक्षी का कथन हुआ है यदि वह बहरा होता तो ऐसा संभव नहीं था।

26. बचाव पक्ष की ओर से पीड़िता की चाची व चाचा क्रमशः अ0सा0–13 व अ0सा0–14 के न्यायालयीन कथन व पुलिस कथन क्रमशः प्रडी–1 व प्रडी–2 में कुछ लोप व विसंगति उजागर करने का प्रयास किया है किंतु लोप या विसंगति मूल घटना के संबंध में ना होकर अन्य सामान्य बातों के बारे में है। साक्षी के कथनों में आई प्रत्येक विसंगति या लोप, तात्विक विरोधाभास की श्रेणी में नही आता है, बल्कि ऐसे लोप या विसंगति को ही विरोधाभास माना जा सकता है, जहां कि साक्षी द्वारा पूर्व कथन व न्यायालयीन कथन में की गई बात का सहअस्तित्व संभव ना हो। दूसरे शब्दों में कहे तो ऐसे लोप या विरोधाभासी तात्विक होते है, जो कि मामले की जड़ तक जाते है। साक्षी के कथनों में समय अंतराल के बाद कुछ लोप या विसंगति आना स्वभाविक है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायदृष्टांत **<u>तहसीलदार व अन्य विरूद्ध उ.प्र. राज्य ए.आई.आर. 1959 एस.सी. 1012</u>** अवलोकनीय है जिसका सुसंगत पैरा–19 निम्नानुसार है।

19."Contradict" according to the Oxford Dictionary means to affirm to the contrary. Section 145 of the Evidence Act indicates the manner in which contradiction is brought out. The cross-examining Counsel shall put the part or parts of the statement which affirms the contrary to what is stated in evidence. This indicates that. there is something in writing which can be set against another statement made in evidence. **If the statement before the police-officer - in the sense we have indicated - and the statement in the evidence before the Court are <u>so inconsistent or irreconcilable with each other that both of them cannot co-exist,</u> it may be said that one contradicts the other.**

27. हस्तगत मामले में अ0सा0–13 ने न्यायालय में बताया है

कि पीड़ित बालिका 13–14 साल की थी व कक्षा 8 में पढ़ती थी, घटना संक्राति के पहले की है, इस बात का उल्लेख उसके पुलिस कथन प्रडी–1 में नही है। इसी प्रकार अ0सा0–14 ने बताया है कि उसका व पीड़ित बालिका का घर लगा हुआ है, बीच में दीवार है, पीड़ित बालिका के पहले ही मृत्यु हो चुकी है और वह अपने दादा व मां के साथ रहती थी, घटना दिनांक को उसकी मां मायके गई हुई थी, इन बातो का उल्लेख साक्षी के पुलिस कथन प्रडी–2 में नही है। उपरोक्त लोप किसी भी दृष्टि से तात्विक विरोधाभास की श्रेणी में नही आता, इसके अतिरिक्त अ0सा0–14 का यह कहना है कि पीड़ित बालिका ने उसे बताया था कि आरोपीगण घर में दरवाजा तोड़कर आऐ थे, इसे तात्विक विरोधाभास के रूप में नही देखा जा सकता क्योंकि प्रायः ही साक्षीगण घटना को न्यायालय में बढ़ाचढ़ा कर बताते है ताकि उनकी बात पर न्यायालय द्वारा विश्वास किया जा सके। साक्षीगण के कथनों में आए उक्त स्वाभाविक लोप व अतिरेक यही स्पष्ट करते है कि साक्षीगण को सिखाया पढ़ाया नही गया है और ना ही वे सोच समझकर असत्य कथन करते हैं अन्यथा अ0सा0 14 के कथन में इस प्रकार का अतिरेक भी नहीं आता।

28. वैसे तो साक्षी अ0सा0–1, अ0सा0–2, अ0सा0–13 व अ0सा0–14 की साक्ष्य पूर्णतः विश्वसनीय रही है, फिर भी अभिलेख पर आई स्वतंत्र साक्ष्य व बचाव साक्ष्य से उनके कथनों की पुष्टि भी होती है। इसी क्रम में देखें तो स्वयं बचाव साक्षी गोलू ब.सा. 1 ने प्रतिपरीक्षण में इस बात को सही बताया है कि आरोपी रब्बू, अपचारी बालक के साथ पानी मांगने के बहाने अभियोक्त्री(मृतिका) के घर में घुस गया था और अभियोक्त्री(मृतिका) ने सबके सामने चिल्लाकर बताया था कि आरोपी रब्बू व बाल अपचारी ने उसके साथ बलात्कार किया है, फिर अपनी बात में सुधार करते हुए कहता है कि आरोपीगण का घर में घुस जाना व इसी कारण आग लगा लेना बताया है। यह गौर किए जाने योग्य है कि यदि आरोपीगण व अभियोक्त्री(मृतिका) एक ही गांव के थे, उनके अच्छे संबंध भी थे तो मात्र उनके घर में घुसने के कारण अभियोक्त्री(मृतिका) स्वयं को आग क्यों लगाएगी। इससे दर्शित है कि बचाव साक्षी गोलू ब.सा. 1 बाद में सोच विचार कर अपने कथन को संशोधित करता है जो कि विश्वास योग्य नहीं है।

29. सामान्यतः मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने की कोई निश्चित प्रक्रिया व रीति नही है फिर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **रमाकांत मिश्रा उर्फ लालू विरूद्ध उ0प्र0 राज्य 2015 एस.सी.डब्ल्यू 1674** के मामले में इसकी एक आदर्श प्रक्रिया व रीति बताई है, जो निम्नानुसार है–

9. The central question, however, remains as to whether the alleged dying declaration attracts authenticity. .... It appears to us to be unexceptionable that **whenever a person is brought to a hospital in an injured state which indicates foul-play**, the **hospital authorities are enjoined to treat it as a medico-legal case and inform the police. If the doctor, who has attended the injured, is of the opinion that death is likely to ensue, it is essential for him to immediately report the case to the police; any delay in doing so will almost never be brooked. The police in turn should be alive to the need to record a declaration/statement of the injured person, by pursuing a procedure which would make the recording of it beyond the pale of doubt. This is why an investigating officer (I.O.) is expected to alert the jurisdictional Magistrate of the occurrence, who in turn should immediately examine the injured. When this *procedure* is adopted, conditional on the certification of a doctor that the injured is in a fit state to make a statement, a dying declaration assumes incontrovertible evidentiary value.**

30. हस्तगत मामले में उपरोक्त प्रकिया का यथासंभव पूर्णतः पालन किया जाना प्रमाणित हुआ है। डॉ0 अविनाश सक्सेना अ0सा0–9 ने पीड़ित बालिका के जली हुई अवस्था में भर्ती होने की सूचना प्रपी–24 थाना बीना को दी, पुलिस द्वारा तहरीर प्राप्त होने पर नायब तहसीलदार संगीता महतो अ0सा0–11 ने बीना अस्पताल जाकर चिकित्सक से आहता के कथन देने में सक्षम होने की तस्दीक कराकर उसका मृत्युकालिक कथन प्रपी–26 प्रश्न–उत्तर में लेख किया, जिसके संबंध में डॉक्टर अविनाश सक्सेना अ0सा0–09 ने कथन के समय आहता के कथन देने में सक्षम होने का प्रमाणीकरण प्रदर्श पी 26 भी दिया है। नायब तहसीलदार संगीता महतो अ0सा0–11, उप निरीक्षक अंजना परमार अ0सा0–16 व श्रीमती सुचिता

श्रीवास्तव न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी सागर अ0सा0–23 द्वारा लेखबद्ध मृत्युकालिक कथन क्रमशः प्रदर्श पी 26, प्रदर्श पी 28 (देहाती नालिसी) व प्रदर्श पी 44 को इस आधार पर भी चुनौती दी गई है कि इन पर अभियोक्त्री(मृतिका) के हस्ताक्षर होना बताया गया है जबकि वह हाथ जले होने के कारण हस्ताक्षर करने की स्थिति में नहीं थी। उपरोक्त तीनों ही साक्षीगण ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट किया है कि वह पेन पकड पा रही थी। यद्यपि अ0सा02 अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 7 में इस बात को सही बताया है कि अभियोक्त्री(मृतिका) के हाथ जल गये थे, जिससे वह हाथ से कोई चीज नहीं उठा पा रही थी। यह साक्षी पीड़िता के साथ अस्पताल नहीं गया था, प्रायः ही मृतका के परिजन उसकी चोटों को अत्यंत बढ़ाचढ़ाकर बताते हैं, ताकि न्यायालय द्वारा उनकी बात पर विश्वास किया जा सके । यह भी विशेष तौर पर ध्यान देने योग्य है कि शव परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी023 में मृत बालिका के दाहिने हाथ के अंगूठे पर नीले स्याही का निशान होना पाया गया है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि मृत्युकालिक कथन प्र0पी044 व इसकी आदेशपत्रिका प्र0पी046 पर पीड़िता का ही निशानी अंगूठा लगवाया गया था। अतः बचाव पक्ष का उक्त तर्क अमान्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह भी सुस्थापित है कि मृत्युकालिक कथन पर यदि मृतक का निशानी अंगूठा या हस्ताक्षर ना हों तो भी मात्र इस आधार पर उसे अमान्य नहीं किया जा सकता (**सोहनलाल विरूद्ध पंजाब राज्य ए.आई.आर. 2003 एस.सी. 4466**) जबकि हस्तगत मामले में तो ऐसा है ही नहीं।

31. नायब तहसीलदार संगीता महतो अ0सा0–11, उप निरीक्षक अंजना परमार अ0सा0–16 व श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी सागर अ0सा0–23 उपरोक्त तीनों ही साक्षीगण लोक सेवक हैं और उनकी साक्ष्य का मूल्यांकन भी सामान्य साक्षी की भांति किया जाना चाहिए। मात्र पुलिस अधिकारी या लोक सेवक होने के आधार पर ही उनकी साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। उनकी आरोपी से ऐसी कोई रंजिश हो कि वे उसे झूठा फंसा दे या अभियोक्त्री(मृतिका) के परिजनों से इतनी निकटता हो कि वे उनके कहने पर असत्य मृत्युकालिक कथन लेखबद्ध कर दें, ऐसा कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं है। इस क्रम में ''सोहनलाल'' के उपरोक्त न्यायदृष्टांत का पैरा 17 अवलोकनीय है,

17. …. Upon careful assessment of the evidence tendered by PW-6, Lakhbir Singh, **Naib Tehsildar, we find no circumstance brought on record to suspect his bona fides; nothing has been elicited to show that he was interested in fabricating a case against the accused or that he had any motive to make out a false case against the accused.** Hence, we are unable to accept the contention of the learned counsel for the accused that it is unsafe to convict the accused on the dying declarations....

32. बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क भी किया गया है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव अ0सा0—23 उच्च अधिकारी के लिखित ओदश के बिना बयान लेने अस्पताल गईं, उन्होंने रात 8:43 बजे बयान लेना बताया है, जबकि चिकित्सक ने रात 9:43 बजे असत्य प्रमाणपत्र दिया है। इस क्रम में देखा जाये तो श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव अ0सा0—23 ने प्रतिपरीक्षण में इस बात को सही बताया है कि मृत्युकालिक कथन लेखबद्ध करने हेतु उसे कोई लिखित आदेश नहीं मिला था, किंतु साक्षी स्वतः कहती है कि काफी रात हो जाने के कारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उसे मौखिक आदेश दिया था और थाना भानगढ़ का पत्र भी आया था। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की **धारा— 164 की उपधारा 1** के अनुसार ''कोई महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट, **चाहे उसे मामले में अधिकारिता हो या न हो,** इस अध्याय के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान या तत्पश्चात् जांच या विचारण आरंभ होने के पूर्व किसी समय अपने से की गई संस्वीकृति या कथन को लेखबद्ध कर सकता है''। ऐसी दशा में यदि श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव को कोई मौखिक आदेश भी प्राप्त न होना माना जाये तो भी उसके द्वारा धारा—164 दं0प्र0सं0 का कथन लेखबद्ध किया जा सकता था। इसमें कोई ऐसी परिस्थिति नही है जिसका लाभ आरोपी को दिया जा सके बल्कि यह तो श्रीमति सुचिता श्रीवास्तव अ0सा0—23 की अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा व जागरूकता ही दर्शाता है।

33. जहां तक चिकित्सक के प्रमाणपत्र का संबंध है तो श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव अ0सा023 के अनुसार, उसने प्र0पी044 का मृत्युकालिक कथन दिनांक 09.12.2017 को रात को 08:43 बजे से 09:10 बजे के बीच लेखबद्ध किया, जबकि डॉ0 भूपेन्द्र पटेल अ0सा024 द्वारा दिये गये सक्षमता प्रमाणपत्र प्र0पी045 में रात 9:45 बजे का समय लेख है। डॉ0 भूपेन्द्र पटेल अ0सा024 ने बताया है कि श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव अ0सा023

ने आहत बालिका का कथन लेने के पूर्व तथा कथन लेने के पश्चात् उससे आहता का परीक्षण कराया था, उसने आहता को बयान देने के पूर्व से बयान लिखे जाने तक पूर्णतः होश में होना तथा बयान देने में सक्षम होना पाया था। ऐसी दशा में यदि बयान आदि की कार्यवाही के पश्चात् डॉ0 भूपेन्द्र पटेल अ0सा024 ने प्र0पी045 में रात 9:43 का समय डाला है तो इस बात से यही स्पष्ट हो ता है कि उसने प्र0पी045 का प्रमाणपत्र रात 9:43 बजे लेख किया, किंतु ऐसा नहीं माना जा सकता कि उसने रात 9:43 बजे आहता का परीक्षण किया।

34. यह तर्क भी हुआ है कि उक्त <u>मृत्युकालिक कथन लेखबद्ध करने के पूर्व अभियोक्त्री(मृतिका) के परिजन उसके साथ थे, वे ही उसे अस्पताल लाए थे ऐसी दशा में बाद में लेखबद्ध मृत्युकालिक कथन विश्वसनीय नहीं है।</u> इस बारे में यह ध्यान देने योग्य है कि कोई ऐसी असामान्य घटना होने पर सर्वप्रथम परिजन, रिश्तेदार या पडोसी ही मौके पर आते हैं और यथाशीघ्र उसे उपचार हेतु अस्पताल ले जाते हैं। इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है बल्कि ऐसा होना नितान्त स्वाभाविक ही है। प्रकरण में ऐसी कोई भी परिस्थिति दर्शित भी नहीं हुई है जिस कारण आरोपी के विरूद्ध असत्य मृत्युकालिक कथन लेखबद्ध कराए जाएं और तीन अलग अलग विभागों में पदस्थ शासकीय सेवकों द्वारा लेखबद्ध किए जाएं। अस्पताल में परिजनों का उपस्थित होना मृत्युकालिक कथन को किसी भी प्रकार से संदेहास्पद नहीं करता, इस संबंध में न्यायदृष्टांत **<u>Hamid Kadir Shaikhv. State of Maharashtra 2013 CRI.L.J. 109</u>** अवलोकनीय है, जिसका संदर्भित अंश निम्नानुसार है।

> **10.**The relatives of Bashira were informed about Bashira sustaining the burns and consequently they had rushed to the hospital. **Mere presence of the relatives, which is natural, would not lead to an inference that the relatives had tutored Bashira to give a statement adverse to the appellant. Mere presence of the relatives by itself is not enough to lead to an inference about. There has to be something more in the evidence to indicate the possibility of the victim being tutored by the relatives.** The appellant has not been able to establish that the relatives were so inimically disposed towards him that they would to go an extent of Bashira, who had sustained more than 90% burns. We are, therefore, not in agreement with the submission advanced before us by the learned Counsel for the appellant that Exh.11 is the outcome of of Bashira by the relatives.

35. बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क भी किया गया है कि मृत्युकालिक कथन, कथनकर्ता की मृत्यु के संबंध में ही ग्राह्य हो सकता है किंतु बलात्कार या अन्य अपराध के लिऐ नही। इस क्रम में देखे तो **अधिनियम 1872 की धारा–32** के अनुसार ''***मृत व्यक्ति द्वारा*** *किया गया* ***कोई कथन*** *जबकि ऐसा कथन उस व्यक्ति ने* ***अपनी मृत्यु के कारण के बारे में*** *या* ***उस संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में*** *किया हो,* ***जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई,*** *तब उन मामलों में जिनमें उस व्यक्ति की* ***मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो, ऐसा कथन सुसंगत है।*** इसी क्रम में उपरोक्त धारा का **दृष्टांत–क** अवलोकनीय है जिसका मात्र सुसंगत अंश निम्नानुसार है – ***''क–*** *प्रश्न यह है कि क्या क की हत्या ख द्वारा की गई थी, अथवा क की मृत्यु किसी संव्यवहार में हुई क्षतियों से हुई है, जिसके अनुक्रम में उससे बलात्संग किया गया था। प्रश्न यह है कि क्या उससे ख द्वारा बलात्संग किया गया था।* ***अपनी मृत्यु के कारण के बारे में क द्वारा किये गये वे कथन, जो उसने क्रमशः विचाराधीन हत्या, बलात्संग को निर्देशित करते हुए किये हैं, सुसंगत तथ्य है।''*** अतः यह स्पष्ट है कि ऐसा मृत्युकालीन कथन ***न केवल मृत्यु के कारण के बारे में*** *सुसंगत है* ***बल्कि उस संव्यवहार की सभी परिस्थितियों के बारे में*** *सुसंगत है, जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई* चाहे उक्त संव्यवहार में एक से अधिक अपराध कारित हुऐ हो। हस्तगत मामले में आरोपीगण का घर में घुसना, अभियोक्त्री(मृतिका) के साथ सामूहिक बलात्संग करना तथा प्रतिरोध करने व शिकायत करने का कहने पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा देना, एक ही संव्यवहार की परिस्थितियां है, जिनके परिणामस्वरूप अभियोक्त्री(मृतिका) की मृत्यु हुई, ऐसी दशा में उसका मृत्युकालिक कथन इस संव्यवहार के दौरान हुऐ हर अपराध के लिऐ सुसंगत व ग्राह्य है।

36. प्रकरण में अभिलेख पर **आरोपी की दोषिता के संबंध में एक अन्य अकाट्य परिस्थिति / साक्ष्य सकारात्मक डीएनए रिपोर्ट प्रदर्श पी 42 अभिलेख पर है।** इस बारे में डॉ. योगमाया अ0सा0–4 ने दिनांक 8.12.2017 को आहत बालिका की वैजाइनल स्लाईड व योनी द्वार से दो कॉटनस्वाब तथा प्यूबिक हेयर संरक्षित कर सीलबंद कर महिला आरक्षक

को सौंप देना बताया है। इस संबंध में इस साक्षी का कथन अखण्डनीय रहा है। डॉ. नितिन कुमार जैन अ0सा0–6 ने दिनांक 10.12.17 को बाल अपचारी का अण्डरवियर व 5 एमएल रक्त डीएनए सेंपल हेतु निकालकर सीलबंद कर संबंधित आरक्षक को देना बताया है जिसकी एमएलसी रिपोर्ट प्रदर्श पी 21 है। इसी प्रकार डॉ. दीपक तिवारी अ0सा0–12 ने दिनांक 9.12.17 को आरोपी रब्बू का चिकित्सीय परीक्षण कर उसका एक दाग लगा अण्डरवियर, रक्त नमूना संग्रहीत कर सीलबंद कर संबंधित आरक्षक को देना बताया है। एमएलसी रिपोर्ट प्रदर्श पी 26 है। साक्षी के अनुसार आरोपी द्वारा सहयोग ना किए जाने के कारण वीर्य स्लाईड तैयार नहीं हो सकी। बचाव पक्ष की ओर से आरोपी की वीर्य स्लाइड न बनाया जाना उसके पक्ष में एक परिस्थिति होना बताया गया है, जबकि स्पष्ट है कि उसके असहयोग के कारण ही वीर्य स्लाइड नहीं बन सकी, इन परिस्थितियों में आरोपी द्वारा उक्त परीक्षण में सहयोग ना किया जाना भी, दुर्बल ही सही किंतु उसके विरूद्ध ही एक परिस्थिति है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि डीएनए परीक्षण आरोपी के वीर्य से ही किया जा सकता है, बल्कि रक्त नमूने के आधार पर भी किया जा सकता है, जैसा कि हस्तगत मामले में किया गया है।

37. थाना बीना के आरक्षक सत्येंद्रसिंह अ0सा0–17 ने आरोपी रब्बू का सीलबंद अण्डरवियर जप्त नमूना व पीड़ता की स्लाईड आदि जप्त सामान सीलबंद अवस्था में थाने पर लाकर जप्त कराना बताया है। उपनिरीक्षक नारायणसिंह अ0सा0–19 ने सत्येंद्रसिंह अ0सा0–17 द्वारा आरोपी रब्बू के अण्डरवियर आर्टीकल जे, सील नमूना जप्त कर प्रदर्श पी 29 का जप्तीपत्रक बनाना व पीडिता की वैजानाइल स्लाईड आर्टीकल जी, क्यूबिक हेयर आर्टीकल एच, काटनस्वाब आर्टीकल आई, को जप्त कर प्रदर्श पी 30 का जप्तीपत्रक बनाना बताया है। इसी साक्षी के अनुसार दिनांक 9.12.2017 को उसने आरोपी रब्बू का रक्त नमूना सिविल अस्पताल बीना के डॉक्टर से डीएनए हेतु निकलवाना बताया है, उक्त कार्यवाही के फार्म प्रदर्श पी 34 की मूल प्रति विज्ञान प्रयोगशाला भेजना बताया है। थाना भानगढ़ के तत्कालीन थाना प्रभारी रवि भूषण पाठक अ0सा0–22 ने प्रकरण में जप्तशुदा मुददेमाल पुलिस अधीक्षक सागर के माध्यम से प्रदर्श पी 38 व 39 के पत्र द्वारा परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजना बताया है। इसके अतिरिक्त जप्तशुदा ब्लड सेंपल पुलिस अधीक्षक सागर के माध्यम से डीएनए परीक्षण

हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला सागर भेजना बताया है जिसकी रसीद प्रदर्श पी 41 है। एफएसएल सागर से प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी 40 व डीएनए रिपोर्ट प्रदर्श पी 42 है। प्रदर्श पी 40 की एफएसएल रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि होती है कि घटनास्थल से जप्त आर्टीकल डी की मिट्टी, प्लास्टिक केन आर्टीकल ए, में कैरोसिन तेल के अवशेष थे। **डीएनए रिपोर्ट प्रदर्श पी 40 के अनुसार आहत बालिका के वैजानाइल स्लाईड आर्टीकल जी व काटनस्वाब आर्टीकल आई से प्राप्त पुरूष मिश्रित Autosomal STR DNA Profile, में आरोपी रब्बू के श्रोत् आर्टीकल के, व अपचारी बालक के श्रोत् से प्राप्त DNA Profile, भी उपस्थित है।**

38. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संतोष कुमार सिंह विरूद्ध राज्य द्वारा सी.बी.आई.(2010) 9 एस.सी.सी. 747 के मामले में डीएनए रिपोर्ट को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अचूक मान्य किया गया है। **निर्भया केस (2017) 6 एस.सी.सी. 1 तथा नंदलाल वासुदेव बाधविक विरूद्ध लता नंदलाल बाधविक व अन्य (2014) 2 एस.सी.सी. 576** के मामले में तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डीएनए रिपोर्ट को निश्चायक साक्ष्य के समतुल्य मान्य किया गया है।

39. बचाव पक्ष की ओर से यह लिखित तर्क भी दिया गया है कि अभियोक्त्री(मृतिका) के गुप्तांग पर जलने के निशान को छोड़कर खरोंच या कोई घाव नहीं था, यदि बलात्संग हुआ होता तो चोटें अवश्य आतीं, चिकित्सक ने निश्चित अभिमत भी नहीं दिया है, डॉ0 योगमाया अ0सा04 द्वारा दी गई रिपोर्ट प्र0पी014 की ओर मुख्यतः बचाव पक्ष ने ध्यान आकर्षित कराया है। प्र0पी014 की रिपोर्ट में डॉ0 योगमाया अ0सा04 ने लेख किया है कि पीड़िता पर लैंगिक हमले की संभावना से इंकार नहीं किया जात सकता, फिर भी उसने निश्चित अभिमत के प्रयोजन से वैजाइनल स्लाइड व कॉटन स्वाब आदि तैयार कर सीलबंद कर आरक्षक को दे दिये थे। सर्वप्रथम तो प्रत्येक बलात्संग के मामले में ऐसा कोई आवश्यक वैधानिक नियम नहीं है कि चिकित्सीय साक्ष्य से इसकी पुष्टि हो। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **फतेहचंद विरूद्ध हरियाणा राज्य ए.आई.आर. 2009 एस. सी. 2729** अवलोकनीय है। इस मामले में शवपरीक्षण रिपोर्ट प्र0पी023 में अभियोक्त्री(मृतिका) का हाइमन फटा होना पाये जाने का उल्लेख है। डीएनए रिपोर्ट प्रपी–40 में पीड़िता की वैजाइनल स्लाइड में दोनों आरोपीगण

का डीएनए पाया जाना डॉ0 योगमाया अ0सा04 द्वारा दिये गये अनिश्चित अभिमत को निश्चायक रूप से बलात्संग होने में परिणित कर देता है। वैसे भी पीड़िता के गुप्तांग पर जलने के निशान थे, जो गुप्तांग से दोनों जांघों तक फैले थे, ऐसी दशा में खरोंच या अन्य कोई चोट जलने की चोट के कारण दब जाने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता।

40. इसी क्रम में यह तर्क भी हुआ है कि आरोपी रब्बू के गुप्तांग पर कोई ताजी चोट नहीं थी, जो अभियोजन कथा को संदेहास्पद करता है। डॉ0 दीपक तिवारी अ0सा012 ने प्रतिपरीक्षण में इस बात को सही बताया है कि आरोपी रब्बू के गुप्तांग पर ताजी चोट का कोई निशान नहीं था। यह ध्यान देने योग्य है कि घटना दिनांक 07.12.2017 की रात लगभग 8:30 बजे की है, जबकि आरोपी रब्बू का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 09.12. 2017 को शाम 3:55 बजे किया गया है। ऐसी दशा में यदि कोई मामूली हल्की चोट आई भी होगी तो समय अंतराल से विलुप्त हो गई होगी। इसके अतिरिक्त डॉ0 दीपक तिवारी अ0सा012 ने ऐसा कोई निश्चित अभिमत भी नहीं दिया है कि बलात्संग की घटना में आरोपी के गुप्तांग पर ताजी चोट आना अवश्यंभाव्य है। फलतः उक्त तर्क अमान्य किया गया ।

41. इसके अतिरिक्त घटनास्थल से आर्टीकल ए की प्लास्टिक की केन, जले हुए कपडे व जली चमडी आर्टीकल सी, कैरोसिन युक्त मिटटी आर्टीकल डी, आर्टीकल ई की माचिस, भी जप्त हुआ है, जप्तीपत्रक प्रदर्श पी 7 की कार्यवाही को उप निरीक्षक नारायणसिंह अ0सा0–19 द्वारा प्रमाणित किया गया है। बचाव पक्ष की ओर से यह <u>तर्क किया गया है कि यदि घटना घर में हुई होती तो पलंग पर आग लगती व कपडे भी जले मिलते जबकि ऐसा कुछ नहीं मिला,</u> जबकि नारायण सिंह अ0सा0–19 को घर में ऐसा नहीं मिला, जिस कारण घर में घटना होना संदेहास्पद है। प्रकरण में अभियोक्त्री(मृतिका) के मृत्युकालिक कथनों व अन्य अभियोजन साक्षीगण व स्वयं बचाव साक्षीगण की साक्ष्य से यह स्पष्ट हुआ है कि आग लगते ही अभियोक्त्री(मृतिका) अपने घर से बाहर की ओर भागी तब ऐसी दशा में घर के भीतर पलंग या कपडों में आग लगने का कोई कारण या अवसर नहीं है। फलतः उक्त तर्क अमान्य किया जाता है।

42. यह भी ध्यान देने योग्य है कि अभियोक्त्री(मृतिका) के चाचा अ0सा0–14 ने घटना के तुरंत बाद आरोपीगण को खेडे से भागते हुए

भी देख लिया था, जिसके संबंध में साक्षी प्रतिपरीक्षण में भी स्थिर रहा है। उक्त परिस्थिति यद्यपि निश्चायक नहीं है किंतु अधिनियम 1872 की **धारा 8** के अंतर्गत आरोपी के पश्चातवर्ती आचरण के रूप में ग्राहय व सुसंगत अवश्य है। इसके **दृष्टान्त ''च''** के अनुसार *'' प्रश्न यह है कि **क्या क ने ख को लूटा।** यह तथ्य कि **ख के लुट जाने के पश्चात,** ग ने क की उपस्थिति में कहा कि, **ख को लूटने वाले आदमी को खोजने के लिए पुलिस आ रही है** और इसके **तुरंत बाद क भाग गया, सुसंगत है।''***

43. इस प्रकार अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रकरण में अभियोक्त्री(मृतिका) के सभी मृत्युकालिक कथनों में एकरूपता व संगतता है ये पूर्णतः विश्वसनीय भी पाए गए हैं। इनमें बताई गई बातों की पुष्टि अन्य साक्षीगण की मौखिक साक्ष्य, चिकित्सीय साक्ष्य, यहां तक कि बचाव साक्ष्य व डीएनए रिपोर्ट से भी होती है। ऐसी दशा में अभिलेख पर यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है कि घटना दिनांक को रात लगभग 8:00 बजे आरोपी रब्बू व बाल अपचारी अभियोक्त्री(मृतिका) के घर में घुसे, उन दोनों ने बारी बारी से अभियोक्त्री(मृतिका) के साथ सामूहिक बलात्संग किया और उसके प्रतिरक्षा करने व शिकायत करने की बात कहने पर उस पर मिटटी का तेल डालकर आग लगा दी।

44. बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क किया गया है कि आरोपीगण का आशय मृत्युदण्ड से दण्डनीय अपराध कारित करने या हत्या कारित करने का नहीं था, अन्य सह आरोपी अपचारी बालक है जिस कारण आरोपी रब्बू के विरूद्ध धारा 376डी भा.दं.सं. का अपराध नहीं बनता है। यह तर्क भी हुआ है कि धारा 376डी व धारा 376-2आई, 376 ए भा.दं.सं. के अपराध का आरोप विकल्पतः विरचित किया गया था जिस कारण उसे इसमें से किसी एक से अधिक अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। यह भी तर्क हुआ है कि अभियोक्त्री(मृतिका) सहमत पक्षकार थी।

45. प्रकरण की परिस्थितियों में यह दर्शित है कि प्रारंभतः आरोपीगण का आशय अभियोक्त्री(मृतिका) के साथ बलात्कार करने का ही था और घर में प्रवेश करते समय उसकी हत्या कारित करने का नहीं था। ऐसी दशा में धारा 449 भा.दं.सं. के स्थान पर **धारा 450 भा.दं.सं.** के प्रावधान आकर्षित होते हैं। इसी क्रम में **दं0प्र0सं0 की धारा-222**

अवलोकनीय है, जिसके अनुसार यदि विचारण के दौरान ऐसा कोई अपराध साबित होता है, जो आरोपित अपराध के अंतर्गत है, तब आरोपी को ऐसे छोटे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है, यद्यपि उस पर इसका आरोप नहीं था।

46. जहां तक यह कहना कि मिटटी का तेल डालकर आग लगाने में आरोपीगण का आशय मृतिका की हत्या कारित करना नहीं था और उसके शिकायत करने की धमकी देकर उन्हें प्रकोपित किया था तो यह तर्क मान्य किए जाने योग्य नहीं है। अपराध के किसी पीड़ित द्वारा प्रतिरोध करना या अपराध की शिकायत करने की कहना आरोपी के पक्ष में उसे हत्या करने के लिए प्रकोपित करने की परिस्थिति के रूप में किसी भी दशा में मान्य नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति पर मिटटी का तेल डालकर आग लगा देना उसकी मृत्यु कारित करने के लिए प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में पर्याप्त है।

In **Bandarupalli Venkateswarlu v. State of Andhra Pradesh [(1975) 3 SCC 492**, Hon'ble Apex Court has considered intention of pouring kerosene and causing fire and observed thus : **"**Relying on the circumstance that the appellant tried to put out the fire, learned Counsel for the appellant urged that the appellant had no intention to commit the murder of the deceased and cannot therefore be convicted under Section 302. **It is impossible to accept this submission because if the appellant set fire to the deceased after accused No.6 had poured kerosene on his body, there cannot be any doubt that the intention of the appellant was to kill the deceased."**

हस्तगत मामले में ऐसा करने के बाद आरोपीगण का यह कहना कि जब बचेगी तभी तो किसी को बता पाएगी, स्पष्ट करता है कि उनका आशय उसकी हत्या करना ही था ताकि वह उनके पाप के बारे में किसी अन्य को कुछ बता ना सके।

47. जहां तक एक सह आरोपी का बाल अपचारी होने का संबंध है तो इस बात का कोई लाभ आरोपी रब्बू को नहीं दिया जा सकता। यह तथ्य बाल अपचारी के पक्ष में उसे अलग विचारण फोरम की पात्रता देने व दण्डादेश के संबंध में किशोर न्याय(बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम 2015 के प्रावधान लागू होंगे, इस रूप में ही देखा जा सकता है।

धारा 376डी भा.दं.सं. के अंतर्गत ऐसी कोई बाधा नहीं है कि दो या दो से अधिक बलात्संग करने वाले सभी व्यक्ति वयस्क होने चाहिए। वर्तमान परिदृश्य में एक के बाद ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें बाल अपचारी का कृत्य वयस्क आरोपी के कृत्य से कहीं अधिक जघन्य, निर्दयतापूर्ण व क्रूरतापूर्ण होता है। दिल्ली के बहुचर्चित निर्भया केस के मामले में भी ऐसा ही था। इस प्रकार एक आरोपी का बालअपचारी होना आरोपी रब्बू को कोई लाभ नहीं पहुंचाता, बल्कि उसके विरूद्ध ही जाता है कि उसने एक अवयस्क बालक के साथ इस प्रकार की घटना की, जबकि बड़े होने के नाते उसे अपने से छोटे अवयस्क आरोपी को अपराध कारित करने से रोकना चाहिए था।

48. जहां तक अभियोक्त्री(मृतिका) के सहमत पक्षकार होने के तर्क का संबंध है तो इस संबंध में बचाव पक्ष की ओर से लिखित तर्क में न्यायदृष्टांत **<u>कालिया विरूद्ध म0प्र0 राज्य 1984 एम.पी.डब्ल्यू.एन. 83</u>** पेश किया है। हस्तगत मामले में अभिलेख पर अभियोक्त्री(मृतिका) की आयु 18 वर्ष से कम बल्कि 16 वर्ष से कम होना प्रमाणित हुआ है ऐसी दशा में धारा 375 भा0द0सं0 के तहत उसके सहमत पक्षकार होने का कोई प्रश्न ही नही रह जाता है इसके अलावा अभियोक्त्री(मृतिका) का घटना में प्रतिरोध करना, शिकायत करने का कहना व चिल्लाते हुऐ बाहर आकर सबको घटना बताना यह स्पष्ट करता है कि उसके साथ उसकी सम्मति व इच्छा के बिना बलपूर्वक ही बलात्संग किया गया था। हस्तगत मामले के तथ्य व परिस्थितियां भिन्न होने से उक्त न्यायदृष्टांत मामले पर लागू नही होता है।

49. जहां तक आरोप में त्रुटि होने का संबंध है तो आरोप विरचित किए जाने का उददेश्य मात्र इतना होता है कि आरोपी को उसके विरूद्ध विचारित किए जा रहे मामले की जानकारी हो जाए ताकि वह अपनी उचित प्रतिरक्षा कर सके क्योंकि **<u>दो धाराओं का विकल्पतः आरोप विरचित करने की दशा में आरोपी को उक्त दोनों ही अपराधों के आरोप पर अपनी प्रतिरक्षा करनी होती है, ना कि किसी एक पर।</u>** ऐसी दशा में आरोप पत्र में मात्र विकल्पतः लेख होने मात्र के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि उस पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है या दोनो अपराध के लिऐ उसे दोषसिद्ध नही किया जा सकता।

50. जहां तक **धारा 376क** भा0द0सं0 का संबंध है तो यह तर्क हुआ है कि बलात्संग व मिट्‌टी का तेल डालकर आग लगाने की घटना अलग अलग है जिस कारण धारा 376क भा0द0सं0 का अपराध नही बनता। यहां धारा 376क भा0द0सं0 के सुसंगत अंश का अंग्रेजी भाषा में उल्लेख किया जाना उचित होगा ''**376-A. Punishment for causing death or resulting in persistent vegetative state of victim.-** Whoever, commits an offence punishable under sub-section(1) or sub-section(2) section 376 and **in the course of such commission inflicts an injury** which causes the death of the women or causes the women to be in a persistent vegetative state.........'' उक्त धारा में **"During"** such commission शब्द का प्रयोग नही किया गया है बल्कि **"in the course of** such commission**"** शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि अर्थ में कहीं अधिक व्यापक है, जिसे कि हर मामले में तात्कालिक समय सीमा में नहीं बाधा जा सकता। कोई व्यक्ति बलात्कार करने के दौरान पीड़िता को जलाकर ऐसा करता रहेगा, यह सोच से भी परे है। बलात्कार के अनुक्रम में ऐसी क्षति पहुंचाई जाना चाहिऐ ना कि मात्र इसके दौरान ही। बलात्कार व पीड़ित को कारित क्षति के बीच जीवंत व प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिऐ। बलात्कार का अपराध पुरूष की काम तृष्णा की पूर्ति होने के शारीरिक संकेत (Discharge) होने तक ही नही माना जा सकता, जिस प्रकार शरीर के विरूद्ध अपराध की दशा में धारा 102 भा0द0स0 के तहत प्रायवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक बना रहता है जब तक कि शरीर के संकट की युक्तियुक्त आशंका बनी रहती है, उसी प्रकार बलात्संग का अपराध भी तब तक माना जाऐगा जब तक कि परिस्थितियां यह स्पष्ट ना कर दे कि अब धारा 375 भा0द0सं0 में परिभाषित, जैसा कोई भी कृत्य आरोपी करेगा ही नही, जब तक ऐसा नही होता तब तक बलात्संग के अपराध का अनुक्रम/सिलसिला(course) जारी माना जाऐगा।

51. हस्तगत मामले में **प्रपी–28 के मृत्युकालिक कथन का सुसंगत अंश अक्षरशः** इस प्रकार है *''मुझसे जोर जबरदस्ती करने लगे तो मैनें चिल्लाया तो रब्बू सेन ने मेरा मुंह दबाकर पलंग पर पटक दिया और एक हाथ से हाथ पकड़ लिया, बाल अपचारी(नाम के स्थान पर) ने मेरे नीचे के कपड़े उतार दिऐ और मेरे उपर चढ़कर बुरा काम किया फिर*

रब्बू ने भी मेरे साथ बुरा काम किया ***तब बाल अपचारी ने हाथ मुंह दबा रखा था जब मैनें कहा कि मैं घर परिवार गांव वालो को घटना बताउंगी तब बाल अपचारी ने मिट्टी के तेल की कुप्पी,*** *जो घर के बाहर रखी थी, जान से मारने की नियत से मेरे उपर उड़ेल दी और रब्बू ने आग लगा दी, दोनो बोल रहे थे कि जब तू बचेगी तभी तो बताऐगी''*। इसी प्रकार **प्रपी–44 के मृत्युकालिक कथन का सुसंगत अंश अक्षरशः** इस प्रकार है *'' मेरे उपर चढ़कर कुछ करने लगा जिससे मुझे पेशाब की जगह में दर्द होने लगा। मैं चिल्ला भी नही पा रही थी मेरा मुंह मूंद लिया था उसके बाद रब्बू ने भी अपनी चड्डी उतारकर मेरे उपर चढ़ गया, मुझे पेशाब में बहुत दर्द हुआ,* ***मै जैसे तैसे धक्का देकर उठी और चिल्लाई तभी दोनो ने कैरोसिन मेरे घर से उठाकर मेरे उपर डाल दिया और आग लगा दी''*** ।

52. उपरोक्त परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि आरोपीगण द्वारा अभियोक्त्री(मृतिका) पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाना बलात्कार के अनुक्रम की ही घटना है जिसका इससे जीवंत व प्रत्यक्ष संबंध भी है।

53. अतः यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी रब्बू ने दिनांक 07.12.2017 को रात लगभग 08:30 बजे ग्राम देवल स्थित अभियोक्त्री(मृतिका) के घर में आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध कारित करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया, अभियोक्त्री(मृतिका) जिसकी आयु 16 वर्ष से कम थी, के साथ बलात्संग किया, अन्य सह आरोपी बाल अपचारी के साथ मिलकर उसके साथ सामूहिक बलात्संग व सामूहिक प्रवेशन लैगिंक हमला किया, सहआरोपी बाल अपचारी के साथ मिलकर उक्त अपराध कारित करने के दौरान अभियोक्त्री(मृतिका) पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी जिससे उसकी दशा विकृतशील हो गई व मृत्यु हुई, परस्पर सामान्य आशय के अग्रसरण में साशय या ज्ञान रखते हुऐ उस पर मिट्टी का तेल डालकर, आग लगाकर मृत्यु कारित कर हत्या की। फलतः आरोपी रब्बू को **धारा 450, 376(2)(आई), 376डी, 376ए, 302 सपठित धारा 34,** भा0द0सं0, **तथा धारा 5(जी) सपठित धारा 6** अधि0 2012 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषसिद्ध अपराधी पाया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक–3 व 10

54. जहां तक धारा 293 व 201 भा.दं.सं. का संबंध है तो आरोपीगण से जप्त बताए गए मोबाईल में कोई अश्लील वीडियो रिकवर नहीं हो सके हैं, बाद में प्राप्त एफएसएल रिपोर्ट में इस बावत भी स्पष्ट लेख नहीं है कि कोई अश्लील फिल्म का डाटा डिलीट किया गया था। मृतिका के प्रदर्श पी 26, प्रदर्श पी 44 के मृत्युकालिक कथन में उसे मोबाईल पर अश्लील फिल्म दिखाने का उल्लेख है शेष मृत्युकालिक कथनों में इसका लोप है। ऐसी दशा में उक्त अपराध की विशिष्टियां अभिलेख पर युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं है।

55. प्रकरण में धारा 235(2) द0प्र0सं0 के अंतर्गत आरोपी को दंड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लेखन दोपहर समय पश्चात के लिऐ स्थगित किया जाता है। आरोपी को अवगत कराया गया कि यदि वह दंड के प्रश्न पर स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से कुछ कहना चाहता है या कोई साक्ष्य पेश करना चाहता है तो न्यायालय के माध्यम से किसी भी साक्षी को तलब करा सकता है। प्रकरण दंड के प्रश्न पर सुने जाने व दंडाज्ञा हेतु दोपहर 02:30 बजे रखा जाऐ।

(आलोक मिश्रा)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
बीना,जिला–सागर

पुनश्चः– दोपहर 03:30 बजे

56. उभयपक्ष को दंड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी रब्बू की ओर से व्यक्त किया गया कि यह उसका प्रथम अपराध है, वह नवयुवक है तात्कालिक आवेग में घटना हुई है अतः न्यूनतम दंड से दंडित किया जाऐ। दूसरी ओर अभियोजन की ओर से व्यक्त किया गया है कि अपराध गंभीरतम प्रकृति का है जिसमें पीड़ित बालिका अवयस्क थी। अतः आरोपी को कठोरतम दंड मृत्युदंड से दंडित किऐ जाने का निवेदन किया है। यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत मामले में तो प्रथम औपचारिक मृत्युकालिक कथन प्रपी–26 में स्वयं अभियोक्त्री(मृतिका) ने अपने आरोपी के लिऐ फांसी की सजा की मांग की है, सुसंगत अंश इस प्रकार है **''कुछ कहना चाहती**

हो ? उत्तर–हां। उन्हे सजा मिलनी चाहिऐ, फांसी की सजा।''। एक मान्यता के अनुसार मरने वाले की अंतिम इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिऐ।

57. भा0द0सं0 की धारा 302 व 376क में आजीवन कारावास या मृत्युदंड और जुर्माने के दंड का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त भा0द0सं0 की धारा 376(2)(आई), 376डी व अधिनियम 2012 की धारा 6 में भी अधिकतम आजीवन कारावास और जुर्माने के दंड का प्रावधान है। धारा 354(3) द0प्र0सं0 के अनुसार मृत्युदंड के दंडादेश के लिऐ विशेष कारणों का कथन निर्णय में लेख किया जाना आज्ञापक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **बचनसिंह विरूद्ध पंजाब राज्य (1980) 2 एस.सी.सी. 184** के मामले में प्रतिपादित किया गया है कि विरल से विरलतम मामले में मृत्युदंड दिया जाना चाहिऐ। उक्त सिद्धांत को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **माछीसिंह विरूद्ध पंजाब राज्य (1983) 3 एस.सी.सी. 470,** धनंजय चटर्जी विरूद्ध पश्चिम बंगाल राज्य **(1994) 2 एस.सी.सी. 220, जयकुमार विरूद्ध म0प्र0 राज्य (1999) 5 एस.सी.सी. 1 व बहुचर्चित निर्भया केस के मामले मुकेश व अन्य विरूद्ध दिल्ली राज्य (2017) 6 एस.सी.सी. 1,** में पुनः उद्धरत करते हुऐ समस्त दमनकारी व शमनकारी परिस्थितियों पर विचार किया जाना आवश्यक बताया है।

58. आरोपी की आयु आपराधिक रिकॉर्ड ना होना क्या उसके पक्ष में एक शमनकारी परिस्थिति है, इस संबंध में देखा जाऐ तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **पुरूषोत्तम दशरथ व अन्य विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य (2015) 63 एस.सी.सी. 652** में प्रतिपादित किया गया है कि आरोपी की आयु, आपराधिक रिकॉर्ड का अभाव उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि उसके पक्ष में शमनकारी परिस्थितियां नही है, विशेषकर सोच विचारकर किऐ जाने वाले जघन्य अपराध के मामलो में। आरोपी के विरूद्ध उत्तेजक परिस्थितियां देखी जाऐ तो उसने एक बाल अपचारी के साथ रात के समय मौका देखकर अभियोक्त्री(मृतिका) के घर में घुसकर सामूहिक बलात्संग किया और इस दौरान असहाय, निर्दोष अभियोक्त्री(मृतिका) पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर हत्या की। स्पष्ट है कि आरोपी ने सोच विचारकर कुअवसर पाकर अवयस्क बालिका के साथ सामूहिक बलात्संग किया और उसके प्रतिरोध करने व शिकायत करने की बात कहने पर

मिट्टी का तेल डालकर आग इस आशय से लगा दी कि उनका पाप दिन का उजाला ना देख पाऐ।

59. बलात्कार का अपराध शरीर के विरूद्ध किऐ जाने वाले अन्य अपराधों की भांति नही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संवेदनशील विषय पर प्रतिपादित मार्गदर्शक सिद्धांत निम्नानुसार है–

Madan gopal kakkad vs. Naval Dubey and anthr 1992 AIR SCW 1480

"JUSTICE DEMANDS, THE COURT AWARDS"

Before parting with the judgment, with deep concern, we may point out that though all sexual assaults on female children are not reported and do not come to light yet there is an alarming and shocking increase of sexual offences committed on children. This is due to the reasons that children are ignorant of the act of rape and are not able to offer resistance and become easy prey for lusty brutes who display the unscrupulous, deceitful and insidious art of luring female children and young girls. Therefore, **such offenders who are menace to the civilised society should be mercilessly and inexorably punished in the severest terms.**

Moti Lalv. State of M. P AIR 2008 SC (Supp) 882

10. It needs no emphasis that the **physical scar on a rape victim may heal up, but the mental scar will always remain. When a woman is ravished, what is inflicted is not merely physical but the deep sense of some deathless shame.** An accused cannot cling to a fossil formula and insist on corroborative evidence, even if taken as a whole, the case spoken to by the victim strikes a judicial mind as probable. Judicial response to human rights cannot be blunted by legal jugglery.

11. The measure of punishment in a case of rape cannot depend upon the social status of the victim or the accused. It must depend upon the conduct of the accused, the state and age of the sexually assaulted female and the gravity of the criminal act. **Crimes of violence upon women need to be severely dealt with.** The socio-economic status, religion, race, caste or creed of the accused or the victim are irrelevant considerations in sentencing policy. Protection of society and deterring the criminal is the avowed object of law and that is required to be achieved by imposing an appropriate sentence. The sentencing Courts are expected to consider all

relevant facts and circumstances bearing on the question of sentence and proceed to impose a sentence commensurate with the gravity of the offence. **Courts must hear the loud cry for justice by the society in cases of the heinous crime of rape on innocent helpless girls of tender years, married women and respond by imposition of proper sentence. Public abhorrence of the crime needs reflection through imposition of appropriate sentence by the Court.** There are no extenuating or mitigating circumstances available on the record which may justify imposition of any sentence less than the prescribed minimum. **To show mercy in the case of such a heinous crime would be a travesty of justice and the plea for leniency is wholly misplaced.**

State of M.P vs. Munna Choubey and another AIR 2005 SC 682

14. In Jashubha Bharatsinh Gohil vs. State of Gujarat (1994 (4) SCC 353), it has been held by this Court that in the matter of death sentence, the Courts are required to answer new challenges and mould the sentencing system to meet these challenges. The object should be to protect the society and to deter the criminal in achieving the avowed object to law by imposing appropriate sentence. It is expected that the Courts would operate the sentencing system so as to impose such sentence which reflects the conscience of the society and the sentencing process has to be stern where it should be. Even though the principles were indicated in the background of death sentence and life sentence, the logic applies to all cases where appropriate sentence is the issue.

15. Imposition of sentence without considering its effect on the social order in any cases may be in reality a futile exercise. The social impact of the crime, e.g. where it relates to offences against women, dacoity, kidnapping, misappropriation of public money, treason and other offences involving moral turpitude or moral delinquency which have great impact on social order, and public interest, cannot be lost sight of and per se require exemplary treatment. Any liberal attitude by imposing meagre sentences or taking too sympathetic view merely on account of lapse of time in respect of such offences will be result-wise counter productive in

the long run and against societal interest which needs to be cared for and strengthened by string of deterrence inbuilt in the sentencing system.

16. In Dhananjoy Chatterjee v. State of W.B (1994 (2) SCC 220), this Court has observed that shockingly large number of criminals go unpunished thereby increasingly, encouraging the criminals and in the ultimate making justice suffer by weakening the system's creditability. The imposition of appropriate punishment is the manner in which the Court responds to the society's cry for justice against the criminal. Justice demands that Courts should impose punishment befitting the crime so that the Courts reflect public abhorrence of the crime. The Court must not only keep in view the rights of the criminal but also the rights of the victim of the crime and the society at large while considering the imposition of appropriate punishment.

17. Similar view has also been expressed in Ravji v. State of Rajasthan (1996 (2) SCC 175). It has been held in the said case that it is the nature and gravity of the crime but not the criminal, which are germane for consideration of appropriate punishment in a criminal trial. The Court will be failing in its duty if appropriate punishment is not awarded for a crime which has been committed not only against the individual victim but also against the society to which the criminal and victim belong. The punishment to be awarded for a crime must not be irrelevant but it should conform to and be consistent with the atrocity and brutality with which the crime has been perpetrated, the enormity of the crime warranting public abhorrence and it should "respond to the society's cry for justice against the criminal"... If for extremely heinous crime of murder perpetrated in a very brutal manner without any provocation, most deterrent punishment is not given, the case of deterrent punishment will lose its relevance.

60. बचाव पक्ष की ओर से व्यक्त किया गया था कि इन दिनो इस प्रकार के अपराध काफी हो रहे है अर्थात विरल से विरलतम नही रहे है, जिस कारण मृत्युदंड का मामला नही बनता। यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के जघन्य अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाना ऐसे जघन्य अपराध को सामान्य अपराध की श्रेणी में नही ला देता बल्कि न्यायालय पर यह अतिरिक्त दायित्व अधिरोपित करता है कि वे ऐसे मामलो में इनकी बढ़ती हुई संख्या को भी विचार में लेकर कठोरतम दंड दे ताकि ऐसे अपराध

कारित करने वालो में भय व्याप्त हो। रामचरितमानस में भी कहा गया है कि **''जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दूनि कपि रूप दिखावा''।** जैसे जैसे इस प्रकार के जघन्य अपराध बढ़ेंगे वैसे–वैसे इनकी रोकथाम के लिऐ उससे अधिक अनुपात में न्यायालयों को दंड पर कठोरता बरतनी चाहिऐ ताकि इन पर अंकुश लग सके।

61. ''क्राइम इन इंडिया'' पर वर्ष 2016 में नेशनल क्राईम रिकॉर्ड ब्यूरो, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष में बालकों के यौन शोषण से संबंधित कुल 19765 मामले पंजीबद्ध हुऐ जिनमें से सर्वाधिक 2467 मामले मध्यप्रदेश राज्य में पंजीबद्ध हुऐ है जिनका प्रतिशत लगभग 12.50 है। सामान्य जनचेतना को चौंकाने व आश्चर्यचकित करने वाले इन आकड़ो को देखते हुऐ समाज, न्यायालयों से ऐसे आरोपीगण के प्रति दंड में नरमी बरती जाने की अपेक्षा कभी नही करेगा।

62. पूर्व में भी यह स्पष्ट किया जा चुका है कि बलात्संग के दौरान पीडिता का यह कहना कि वह घटना की शिकायत करेगी, आरोपीगण को हत्या के प्रकोपन के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता। यदि इसे आरोपी के पक्ष में लघुत्तर परिस्थिति माना गया तो यह विरोधाभासी होकर आरोपी को अपराध के लिए पुरूस्कार देने के समान होगा, एक ओर तो आरोपी अपना घिनौना अपराध छिपाने के लिए इस आशय से कि पीड़िता किसी को बता ना दे, उसकी हत्या करे और दूसरी ओर न्यायालय इसे प्रकोपन व लघुत्तर परिस्थिति मानकर उसके दण्ड में नरमी बरते।

63. निःसंदेह, मानव जीवन अनमोल है, यह मानवता को ईश्वर द्वारा दिया गया सर्वोत्तम उपहार है, हम अच्छा–बुरा, सुख–दुःख जैसी भी अनुभूति करते हैं उसके लिए जीवंत भौतिक शरीर का होना नितान्त आवश्यक है। हत्यारा, शरीर को मारकर जीवन का नाश कर सबकुछ समाप्त कर देता है। बलात्संग के अपराध में शरीर तो पीडित के साथ बच जाता है किन्तु उसके मस्तिष्क व आत्मा पर यह अपराध अमिट दाग लगा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बलात्संग आत्मा के विरूद्ध किया जाने वाला अपराध है। अतः यह पूर्णतः स्पष्ट है कि हत्या व बलात्संग दोनों ही जघन्यतम अपराध हैं और यदि बलात्संग की घटना के बाद हत्या का अपराध भी किया गया हो तो ऐसे अपराध की गंभीरता कई गुना बढ़ जाती

है तथा ऐसे मामले में दण्ड में नरमी नहीं बरती जा सकती। **हर एक निश्छल, निर्दोष, मासूम, अबोध बालिका का बलात्कार स्वयं में ही विरल से विरलतम घटना है** और बलात्कार सहित हत्या का मामला तो किसी भी दृष्टि से सामान्य नही माना जा सकता। वर्तमान में तो विधायिका द्वारा धारा 376एबी में संशोधन कर 12 वर्ष से कम बालिका के साथ बलात्संग के लिऐ मृत्युदंड तक का प्रावधान किया गया है। आरोपी ने ना केवल अभियोक्त्री(मृतिका) के साथ बलात्संग कर उसकी पवित्रता का नाश किया बल्कि प्रतिरोध व शिकायत का कहने पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। अभियोक्त्री(मृतिका) की मृत्यु घटना के लगभग 7 दिन बाद हुई और इस दौरान उसने असहनीय कष्ट झेला। अ0सा0–13 के अनुसार अभियोक्त्री(मृतिका) बार–बार पानी मांगती रहती थी। उस अबोध बालिका ने अपने जीवन के 16 वर्ष भी पूर्ण नही किऐ थे और उसके सामने पूरा जीवन शेष था। आरोपीगण द्वारा अपराध कारित करने के लिऐ अभियोक्त्री(मृतिका) का चयन किया जाना दर्शित करता है कि वह उनके लिऐ एक आसान व सहज शिकार हो सकती थी क्योंकि अभियोक्त्री(मृतिका) का पिता भी जीवित नही है, वह अपने दादा के साथ रहती थी जिसे काफी कम सुनाई व दिखाई देता है। आरोपी ने सोच समझकर बाल अपराधी के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से बलात्संग की घटना को अंजाम दिया और इसके दौरान मासूम असहाय बालिका की हत्या कर दी। ऐसी दशा में प्रकरण की परिस्थितियों में आरोपी द्वारा कारित अपराध विरल से विरलतम की श्रेणी में आता है। ऐसे उददण्ड विकृत मानसिकता वाले नरभक्षी के लिए मृत्युदण्ड का दण्ड ही उपयुक्त होगा इससे कम कुछ भी नहीं।

64. धारा 376–क भा.दं.सं. के अपराध में धारा 302 भा.दं.सं. का अपराध समाहित नहीं है और दोनों सुभिन्न अपराध हैं। धारा 376क भा. दं.सं. के अपराध के लिए ऐसा आवश्यक नहीं है कि पीड़िता की मृत्यु हो ही जाए। हस्तगत मामले में यदि पीड़िता की मृत्यु नहीं हुई भी होती तो भी धारा 376क भा.दं.सं. का अपराध गठित होता है जिस कारण दोनों धाराओं के अंतर्गत आरोपी को दण्डित किया जा रहा है।

65. अधिनियम 2012 की धारा 42 के अनुसार जहां कि किसी कार्य या लोप से इस अधिनियम के अधीन और भा0द0स0 की धारा 166क, 354क से 354घ, 370, 370क, 375, 376, 376–क, 376ग, 376घ,

376ड या 509 के अधीन भी दंडनीय कोई अपराध घटित होता है वहां तत्समय प्रवर्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुऐ भी ऐसे अपराध का दोषी पाया गया अपराधी उस दंड का भागी होगा जो इस अधिनियम के अधीन या भा0द0सं0 के अधीन मात्रा में गुरूत्तर हो। भा0द0स0 की धारा 376डी में न्यूनतम 20 वर्ष के कठोर कारावास से लेकर आजीवन कारावास जो कि व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिऐ कारावास से अभिप्रेत है तथा जुर्माने का प्रावधान है जबकि अधिनियम 2012 की धारा 6 में न्यूनतम 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तथा जुर्माने का प्रावधान है। ऐसी दशा में आरोपी को धारा 376डी भा0द0सं0 में ही दंडित किया जा रहा है। सामूहिक बलात्संग में बलात्संग भी शामिल है जिस कारण आरोपी को धारा 71 भा.दं.सं. के आलोक में धारा 376(2)(आई) के अंतर्गत पृथक से दण्डित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। धारा 376डी के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि अधिरोपित जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय खर्चो व पुनर्वास के लिऐ न्यायोचित व युक्तियुक्त होना चाहिऐ, जो कि पीड़िता को संदत्त किया जाऐगा। हस्तगत मामले में पीड़िता की मृत्यु हो चुकी है और आरोपी पर अत्यधिक अर्थदंड अधिरोपित किया जाना मात्र औपचारिकता ही होगा क्योंकि इसकी वसूली मामले की परिस्थितियों में संभव नही है।

66. अतः प्रकरण की परिस्थितियों पर विचार करने के उपरांत आरोपी रब्बू को भा0द0सं0 की निम्न धाराओं के अपराध के लिऐ निम्नानुसार दंडित किया जाता है।

धारा	सजा	जुर्माना	व्यतिक्रम में सश्रम सजा
450	10 वर्ष सश्रम	100	1 माह
376डी	आजीवन कारावास, जो उसके शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए होगा	100	1 माह
376ए	मृत्युदण्ड	100	1 माह
302	मृत्युदण्ड	100	1 माह

कारावास की उपरोक्त सभी मूल सजाऐं साथ–साथ चलेगी।

67. धारा 366 द0प्र0सं0 व नियम एवं आदेश (आपराधिक) के नियम 273 के तहत मृत्युदंड की पुष्टि के लिऐ माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर को कार्यवाही अग्रेषित की जाऐ तथा प्रकरण का अभिलेख मय अनुरोधपत्र माननीय उच्च न्यायालय को अबिलंब भेजा जाऐ। यह स्पष्ट किया जाता है कि मृत्युदंड के दंडादेश का तब तक निष्पादन ना किया जाऐ जब तक इसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट ना कर दिया जाऐ, पुष्टि की दशा में आरोपी को गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए।

68. उक्त अधिरोपित मृत्युदण्ड की पुष्टि की कार्यवाही पूर्ण होने तक आरोपी को उपजेल खुरई जिला सागर में सुरक्षित रखा जाऐ और तब तक मृत्युदण्ड के अतिरिक्त शेष कारावास भुगताया जाऐ, इस आशय का नोट आरोपी के सजा वारंट पर लगाया जाऐ तथा धारा 366(1) द0प्र0सं0 के अनुपालन में द्वितीय अनुसूची का प्रारूप संख्याक 40 का प्रमाणपत्र, सजा वारंट के साथ पृथक से संलग्न भी किया जाऐ।

69. आरोपी रब्बू को धारा 201, 293 भा.द.स. के दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। आरोपी रब्बू के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं, उसका सजा वारंट बनाया जाकर जेल भेजा जाऐ। आरोपी रब्बू दिनांक 09.12.2017 से ही अभिरक्षा में है, उक्त अवधि का धारा 428 द0प्र0सं0 के तहत प्रमाणपत्र बनाया जाकर सजा वारंट के साथ संलग्न किया जाऐ।

70. दं.प्र.सं. की धारा 2 में परिभाषित पीड़ित के अंतर्गत उसके संरक्षक या विधिक उत्तराधिकारी भी शामिल हैं, मामले में आरोपी को इतने अर्थदण्ड से दण्डित नहीं किया गया है कि जिससे अपराध से पीड़ितों को पर्याप्त प्रतिकर दिया जा सके। धन के रूप में प्रतिकर अभियोक्त्री (मृतिका) की माता के लिए अपराध से हुए आजीवन कष्ट व असहनीय मानसिक पीड़ा की पूर्ति नहीं कर सकता किंतु फिर भी उनकी पीड़ा कम हो सके और वह स्वयं को पुनर्स्थापित कर पाएं, इस उद्देश्य से प्रतिकर दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः दं.प्र.सं. की धारा 357क की उपधारा 3 के अंतर्गत अभियोक्त्री (मृतिका) की माता को प्रतिकर दिलाए जाने के लिए अनुसंशा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को की जाती है। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्णय की एक प्रति सचिव, जिला विधिक

सेवा प्राधिकरण सागर को प्रेषित की जाये।

71. प्रकरण में प्रपी–7, 29, 30, के जप्तीपत्रक अनुसार जप्त सामान उपयोगहीन न होने से अपील न होने की दशा में धारा 452 –4 दण्ड प्रक्रिया संहिता में उल्लिखित अवधि पश्चात् नष्ट किया जाये। प्रपी–9 के अनुसार जप्त मोबाईल उपरोक्त अवधि पश्चात अपील ना होने की दशा में आरोपी रब्बू के परिजनों को वापस किया जाऐ। प्रपी–27 व 37 के अनुसार माल बाल अपचारी से जप्त हुआ है जिसका निराकरण किशोर न्यायिक बोर्ड द्वारा ही किया जाऐगा। अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार निराकरण किया जाये।

72. निर्णय की प्रति आरोपी को निःशुल्क दी गई। आरोपी को सूचित किया गया कि वह परिसीमा अधिनियम 1908 के अनुच्छेद 115 के तहत् निर्णय के 30 दिवस के भीतर माननीय उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है और उसे इसके लिऐ निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाऐगी।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित। मेरे बोलने पर टंकित।

(आलोक मिश्रा)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
बीना, जिला–सागर (म.प्र.)

(आलोक मिश्रा)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
बीना, जिला–सागर (म.प्र.)